रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73

REGISTERED No. D · 73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10, 1979 (कार्तिक 19, 1901)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10, 1979 (KARTIKA 19, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.]

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

मसूरी, दिनांक 16 अक्तूबर 1979

सं० 2/46/75-स्थापना—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 2/46/75-स्थापना दिनांक मई 25, 1979 को जारी रखते हुए, निदेशक महोदय श्री कैलाशचन्द्र सक्सेना की नियुक्ति पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर दिनांक 15-10-1979 से आगामी छः मास के लिए या किसी नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पूर्व हो, तदर्थ रूप में सहर्ष बढ़ाते हैं।

के० रंगराजन,
उप निदेशक (वरिष्ठ)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर 1979

सं० ए-35013/15/79-प्रशासन-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से सीमा सुरक्षा बल से प्रतिनियुक्त अधिकारी श्री डी० एन० बतरा को दिनांक 24-9-79 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

की० ला० ग्रोवर,
प्रशासनिक अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 अक्तूबर 1979

सं० ओ० दो-227/69-स्थापना—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के श्री हेमा राम, सूबेदार को उप-पुलिस अधीक्षक के पद पर अस्थायी रूप में अगले आदेश जारी होने तक पदोन्नत करते हैं।

2. उन्होंने अपने पद का कार्यभार 12 वाहिनी में दिनांक 23-8-79 (अपराह्न) को सम्भाल लिया है।

ए० के० बन्द्योपाध्याय,
सहायक निदेशक (प्रशासन)

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

सं० 10/21/79-प्रशासन-I-21720—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति, नई दिल्ली में, भारत के महापंजीकार के कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र) और इस समय उसी कार्यालय में मानचित्र अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर कार्यरत डा० आर० आर० त्रिपाठी को उसी कार्यालय में तारीख 25 सितम्बर, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, अस्थाई क्षमता में नियमित आधार पर मानचित्र अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी० पद्मनाभ,
महापंजीकार

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय

सं० 3965—रा० स्था०-I/III

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर 1979

सं० 467-ए० स्था०-I/बी-12/नि० फा० भाग IV, दिनांक 3 फरवरी 1979—श्री एन० वेंकटरामन, भा० ले० तथा ले० प० सेवा 26-1-79 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए ।

सं० 265-रा० स्था० I/एन० 44/नि० फा०, दिनांक 20 जनवरी 1979—कुमारी डी० वी० नन्दिनी को उनके विवाह के बाद अपना नाम बदलकर श्रीमती नन्दिनी यशवन्त कपडी रखने की अनुमति दी गई है।

सं० 540/रा० स्था०-I/एल०-7/नि० फा० भाग-III (के० डब्ल्यू०) दिनांक 14 फरवरी 1979—श्री ए० एम० लंकर, भा० ले० तथा ले० प० सेवा को 30-4-79 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त होने की अनुमति दी गई है ।

सं० 972/रा० स्था०-I/ओ-4/नि० पा० दिनांक 19 मार्च 1979—कुमारी प्रवीन ओहरी को उनके विवाह के बाद अपना नाम बदलकर श्रीमती प्रवीन त्रिपाठी रखने की अनुमति दी गई है ।

सं० 1009-रा० स्था०-I/डी०-39/नि० फा० दिनांक 20 मार्च 1979—भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने श्री ए० सी० दास भा० ले० तथा ले० प० सेवा को भूटान सरकार के महालेखा परीक्षक के कार्यालय में मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए 18 अप्रैल, 1978 से लेकर आगे आदेश मिलने तक सेवा के कनिष्ठ ग्रेड में स्थानापन्न रूप में पदोन्नत कर दिया है ।

भूटान सरकार में उनकी प्रतिनियुक्ति नियमित करने वाले निदेश मंत्रालय के पत्र सं० ई IV-551/19/72 दिनांक 10-5-1973 के पैराग्राफ 1 के अनुसार यदि अधिकारी की प्रति नियुक्ति पर रहते हुए अपने मूल विभाग में पदोन्नति हो जाए तो वे प्रतिनियुक्ति के दौरान वित्तीय लाभों के हकदार नहीं होंगे। परिणामतः श्री ए० सी० दास को 5-9-78 तक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति से उद्भूत कोई बकाया राशि नहीं होगी ।

सं० 1246-रा० स्था०-I/292-74 दिनांक 7 अप्रैल 1979—श्री ए० पी० घोष, महालेखाकार, त्रिपुरा अगरतला को 1-11-78 से लेकर आगे आदेश मिलने तक महालेखाकार ग्रेड के स्तर-I (2500—125/2-2750 रु०) में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया है ।

सं० 1248-रा० स्था०-I/292-74 दिनांक 7 अप्रैल 1979—श्री एस० जयारमन, महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 1-1-79 से लेकर आगे आदेश मिलने तक महालेखाकार ग्रेड के स्तर-1 (2500-125/2—2750 रु०) में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया है ।

सं० 1202-रा० स्था०-I/121-77 दिनांक 10 अप्रैल 1979—भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने भा० ले० तथा ले० प० सेवा के वरिष्ठ समयमान के अधिकारी श्री ए० सी० साहा को सिक्किम सरकार के मुख्य वेतन एवं लेखा अधिकारी गंगटोक के पद पर काम करते हुए मू० नि० 30(1) के दूसरे परन्तुक के अधीन 18 दिसम्बर, 1978 से लेकर आगे आदेश मिलने तक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (1500-60-1800-100-2000 रु०) में स्थानापन्न रूप में पदोन्नत कर दिया है ।

सं० 1480-रा० स्था०-I/एस०-109/नि० फा० दिनांक 21 अप्रैल 1979—श्री बी० पी० सिन्हा, भा० ले० तथा से० प० सेवा 31 मार्च, 1979 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए ।

सं० 1484-रा० स्था०-I/84-78 दिनांक 27 अप्रैल 1979—भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने श्री ए० शानोलिवु को तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, मद्रास के लेखा सदस्य पद का काम करते हुए मू० नि० 30(1) के दूसरे परन्तुक के अधीन 3-3-79 (अपराह्न) से लेकर आगे आदेश मिलने तक महालेखाकार ग्रेड के स्तर-II (2250-125/2-2500 रु०) में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है ।

सं० 1473-रा० स्था०-I/के०-68/नि० फा० दिनांक 27 अप्रैल 1979—विवाहो परान्त श्रीमती सिमेर कौर को अपना नाम बदलकर श्रीमति सिमेर कौर साहनी रखने की अनुमति दी गई है ।

सं० 2152-रा० स्था० I/84-78 दिनांक 6 जून 1979—भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने भा० ले० तथा ले० प० सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दिए गए पदों पर काम करते हुए मू० नि० 30(1) के दूसरे परन्तुक के अधीन प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों से लेकर, आगे आदेश मिलने तक, महालेखाकार स्तर-II ग्रेड (2250-125/2—2500 रु०) में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है :—

1. श्री वी० एस० भारद्वाज	मुख्य लेखाकार दिल्ली नगर निगम दिल्ली।	16-4-79

2. श्री एस० चन्द्रशेखर .	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी खनिज अनुसंधान निगम लिमिटेड, नागपुर ।	16-4-79

सं० 2895-रा० स्था०-I/121-77, दिनांक 30 जुलाई 1979—भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने भा० ले० तथा ले० प० सेवा के वरिष्ठ समयमान के अधिकारी श्री सुरिन्दर पाल को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी के पद पर काम करते हुए मू० नि० 30(1) के दूसरे परन्तुक के अधीन 16-4-79 (अपराह्न) से लेकर आगे आदेश मिलने तक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (1500-60-1800-100-2000 रु०) में स्थानापन्न रूप में पदोन्नत कर दिया है ।

सं० 3150 रा० / स्था०-I/एस०-115/नि० फा० भाग III दिनांक 20 अगस्त 1979—श्री के० सुन्दरम्, भा० ले० तथा ले० प० सेवा 2 अगस्त, 1979 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए ।

बी० एम० ओझा
सहायक नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

महालेखाकार का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 10 अक्तूबर 1979

सं० स्थापना/हकदारी/6/10-3—इस कार्यालय के लेखा-अधिकारी श्री एन० परमेश्वरन नायर अधिवर्षिता की आयु में 30-9-79 अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए ।

सं० स्थापना/हकदारी/6/10-3—इस कार्यालय के लेखा अधिकारी श्री सी० के० तंकप्पन अधिवर्षिता की आयु में 30-9-79 अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए ।

एस० सेतुरामन,
महालेखाकार

महालेखाकार का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद, दिनांक 23 अक्तूबर 1979

सं० प्रशा०-I/8-132/79-80/150—श्री के० नारायण मूर्ति, लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय आंध्र प्रदेश I सेवा से निवृत्त हुए दिनांक 30-9-1979 अपराह्न ।

रा० हरिहरन,
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्र)

रक्षा मंत्रालय

आर्डनैन्स फैक्टरी बोर्ड

डी० जी० ओ० एफ० मुख्यालय सिविल सेवा

कलकत्ता-69, दिनांक 8 अक्तूबर 1979

सं० 1F/79/ए०/ई०-1 (एम० जी०)—डी० जी० ओ० एफ० महोदय श्री सुनील कुमार भट्टाचार्जी (1), स्थायी सहायक को सहायक स्टाफ अफसर के पद पर अवकाश-रिक्ति में स्थानापन्न रूप से, तदर्थ आधार पर, दिनांक 12-9-79 से 67 दिनों के लिए या जब तक सम्बन्धित अफसर जिसकी अवकाश रिक्ति में प्रोन्नति का आदेश दिया जाता है, अपना कार्यभार नहीं संभालते तब तक के लिए, इसमें से जो भी पहले हो, प्रोन्नत करते हैं ।

डी० पी० चक्रवर्ती
ए० डी० जी० ओ० एफ०, (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, आर्डनैन्स फैक्टरियां

कलकत्ता, दिनांक 17 अक्तूबर 1979

सं० 51/79/जी०—वार्धक्य निवृत्ति आयु (58 वर्ष) प्राप्त कर, श्री आर० सी० चावला, ओ० एस० डी० (स्थानापन्न सीनियर डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०/प्रबन्धक) (मौलिक एवं स्थायी डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०/(उप-प्रबन्धक) दिनांक 31 अगस्त, 79 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए ।

बी० के० मेहता,
सहायक महानिदेशक, आर्डनैन्स फैक्टरियां

कार्यालय : निदेशक लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-2, दिनांक 18 अक्तूबर 1979

सं० प्रशा०-I/का०आ०/361/5-6/पदोन्नति/79-80/1387—निदेशक लेखा परीक्षा आगे आदेश होने तक इस कार्यालय के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को 28 सितम्बर, 1979 (अपराह्न) से लेखापरीक्षा अधिकारियों के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम
1.	श्री सी० एल० अरोड़ा
2.	श्री ओ० पी० मलिक
3.	श्री वाई० पी० नरूला
4.	श्री एन० एन० जैन

ह० अपठनीय
संयुक्त निदेशक, ले० प० (प्रशासन)

श्रम मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० 23/3/79-सी० पी० आई०—सितम्बर, 1979 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100) अगस्त, 1979 के स्तर से तीन अंक बढ़ कर 363 (तीन सौ तिरेसठ) रहा है। सितम्बर 1979 माह का सूचकांक आधार वर्ष 1949=100 पर परिवर्तित किए जाने पर 441 (चार सौ इकतालीस) आता है।

त्रिभुवन सिंह
उप-निदेशक
श्रम ब्यूरो

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर 1979

आयात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण

(स्थापना)

सं० 6/1279/79-प्रशासन (राज०)—7452—मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, एतद्द्वारा श्री मुकेश भटनागर को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कानपुर के कार्यालय में 7 सितम्बर, 1979 के अपराह्न से नियंत्रक, आयात-निर्यात (वर्ग-ख) के पद पर, अगला आदेश जारी होने तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

2. नियंत्रक के रूप में श्री भटनागर 650-30-740-35-810-द० रो०-880-10-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे।

सं० 6/1283/79-प्रशासन (राज०)/7462—मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात एतद्द्वारा आर्डिनेन्स इक्विपमेंट फैक्टरी रक्षा मंत्रालय, कानपुर में सहायक फोरमैन श्री के० के० भौमिक को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई के कार्यालय में 19 सितम्बर, 1979 के पूर्वाह्न से अगला आदेश जारी होने तक नियंत्रक आयात-निर्यात (वर्ग-ख) के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

2. नियंत्रक के रूप में, श्री भौमिक 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000 द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे।

सं० 6/1285/79-प्रशासन (राज०)/7470—मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात एतद्द्वारा श्रीमती शशि बालासुब्रामनियन को 12 सितम्बर, 1979 के पूर्वाह्न से अगला आदेश जारी होने तक संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई के कार्यालय में, नियंत्रक आयात-निर्यात (वर्ग-ख) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

2. नियंत्रक के रूप में श्रीमती शशि बालासुब्रामनियन 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगी।

सं० 6/1286/79-प्रशासन (राज०)/7474—मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, एतद्द्वारा सहायक खुफिया ब्यूरो, गृह मंत्रालय, बम्बई के सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, श्री एम० बालगंगाधरण को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई के कार्यालय में 1 सितम्बर, 1979 के पूर्वाह्न से अगला आदेश जारी होने तक नियंत्रक, आयात-निर्यात (वर्ग ख) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

2. नियंत्रक के रूप में श्री बालगंगाधरण 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे।

सं० 6/1282/79-प्रशासन (राज०)/7489—मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, एतद्द्वारा खुफिया ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, में सहायक श्री पी० गणेशन् को 6 सितम्बर, 1979 के पूर्वाह्न से अगला आदेश जारी होने तक संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय में नियंत्रक आयात-निर्यात (वर्ग-ख) के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

2. नियंत्रक के रूप में श्री गणेशन् 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे।

सी० एस० आर्य,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 अक्तूबर 1979

सं० ए०-19018(404)/79-प्रशासन (राजपत्रित)—निम्नलिखित की अपनी अवधि की समाप्ति पर भारतीय डाक सेवा के अधिकारी श्री वी०डी० टकरीवाल ने दिनांक 28 जुलाई, 1979 (अपराह्न) से विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली के कार्यालय के संयुक्त विकास आयुक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

महेन्द्र पाल गुप्त
उप निदेशक (प्रशासन)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग-6)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1979

सं० प्र०-6/247(602)—राष्ट्रपति, सहायक निदेशक निरीक्षण (धातु) (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप ए की धातु-

कर्मशाला के ग्रेड III) श्री विश्व प्रकाश को दिनांक 30-8-79 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक उप निदेशक निरीक्षण (भारतीय निरीक्षण सेवा, ग्रुप ए की धातु कर्मशाखा के ग्रेड II) के पद पर स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं ।

2. श्री विश्व प्रकाश ने दिनांक 29-8-79 के अपराह्न में निरीक्षण निदेशालय, टाटानगर के अधीन भिलाई में सहायक निदेशक निरीक्षण (धातु) का पदभार छोड़ दिया और दिनांक 30-8-79 के पूर्वाह्न में उसी निदेशालय के अधीन राउरकेला में उप निदेशक निरीक्षण (धातु) का पदभार सम्भाल लिया ।

सं० ए-17011/47/72-प्र०-6—राष्ट्रपति, भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप ए (इंजी० शाखा) के ग्रेड III में निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) श्री ए० के० सत्वाह को दिनांक 18-9-79 के पूर्वाह्न में और आगामी आदेशों के जारी होने तक भारतीय निरीक्षण सेवा, ग्रुप ए (इंजी० शाखा) के ग्रेड II में उप निदेशक निरीक्षण (इंजी०) के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं ।

2. श्री ए० के० सत्वाह ने निरीक्षण निदेशक, बम्बई के कार्यालय में 5 सितम्बर, 1979 के अपराह्न को निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) का पदभार छोड़ दिया और दिनांक 18-9-79 के पूर्वाह्न से निरीक्षण निदेशक कलकत्ता के कार्यालय में उप निदेशक निरीक्षण का पद भार सम्भाल लिया ।

दिनांक 23 अक्तूबर 1979

सं० ए-17011/162/79-प्र०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान ने निरीक्षण निदेशक मद्रास के कार्यालय में भंडार परीक्षक (इंजी) श्री एम० माधव राव को दिनांक 31-8-79 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय के अधीन निरीक्षण निदेशक, बम्बई के कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

पी० डी० सेठ
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून, दिनांक 17 अक्तूबर 1979

सं० सी० 5563/724-एम० ओ० एस० (ए)—श्री बी० टोप्पो भंडार सहायक (सिले ग्रेड), 10 सितम्बर, 1979 (पूर्वाह्न) से सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग हैदराबाद में सहायक भंडार अधिकारी (सा० सि० से० ग्रुप 'बी') के पद पर 550-25-750 द० रो०-30-900 रुपए के वेतन मान में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

दिनांक 19 अक्तूबर 1979

सं० ई 1-5566/913-एच०—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० ई-1-5412/913 एच० दिनांक 14 दिसम्बर, 1978, के अनुक्रम में श्री आर० के० चमोली, हिन्दी अधिकारी, महासर्वेक्षक कार्यालय की तदर्थ नियुक्ति की अवधि 30 सितम्बर, 1979 तक बढ़ाई जाती है । इस कार्यालय से जारी की गई अधिसूचना सं० ई 1-5479/913 एच० दिनांक 19 अप्रैल, 1979, निरस्त की जाती है ।

के० एल० खोसला,
मेजर जनरल
महासर्वेक्षक

दूरदर्शन महानिदेशालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 19 अक्तूबर 1979

सं० ए-19012/30/79-एस०-2—महानिदेशक दूरदर्शन, श्री एस० मंधु जो पहले सी० एम० यू०, सी० बी० एस०, आकाशवाणी, बम्बई में वरिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत थे, को दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई में 10-8-1979 (पूर्वाह्न) में रुपए 650—960 के वेतनमान में आगे आदेश होने तक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

सं० ए०-19012/29/79-एस०-2—महानिदेशक दूरदर्शन, श्री जे० सी० गुप्ता जो पहले आकाशवाणी, शिमला में लेखाकार के पद पर कार्यरत थे को दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर में 1 सितम्बर, 1978 (पूर्वाह्न) से रुपए 650—960 के वेतनमान में आगे आदेश होने तक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

सी० एल० आर्य,
उप निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

फिल्म प्रभाग

बम्बई-26, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

सं० ए०-20011/2/73-सिबन्दी-I—फिल्म प्रभाग के मुख्य निर्माता ने केन्द्रीय सूचना सेवा के आर० कृष्णमोहन, स्थानापन्न स्क्रिप्ट राइटर, तृतीय श्रेणी अधिकारी को दिनांक 29-8-79 के पूर्वाह्न से फिल्म प्रभाग के ऑटोनामी के वर्किंग ग्रुप के लिए रिसर्च अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है ।

नरेन्द्र नाथ शर्मा,
सहायक प्रशासकीय अधिकारी
कृते मुख्य निर्माता

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 अक्तूबर 1979

सं० ए-12026/2/77-स्था०—श्री आर० डी० चारी, स्थायी ज्येष्ठ लेखापाल को वि० दू० प्र० नि० में 3 अक्तूबर,

1979 से अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया ।

दिनांक 17 अक्तूबर 1979

सं० ए०-12025/1/79-स्थापना--विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक श्री ए० एस० कृष्णामूर्ती को सीनियर आर्टिस्ट के पद पर अस्थायी रूप से 13 सितम्बर 1979 से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 19 अक्तूबर 1979

सं० ए-12026/5/79-स्था०--विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक श्री डी० एल० घोषाल, वितरण सहायक की, श्री जोगी राम लंगन, सहायक वितरण अधिकारी, जो अवकाश पर हैं, के स्थान पर इस निदेशालय में 25-9-79 (अपराह्न) से तदर्थ आधार पर सहायक वितरण अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

जनक राज लिखी,
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 15 अक्तूबर 1979

सं० 3 (48)/78-स्था० (I)—अधीक्षक (कोटि प्रथम) के पद पर सर्व श्री एस० एल० धीर, के० आर० विज, और ओ० पी० भसीन की तदर्थ नियुक्तियां 30-9-1979 से आगे 31-10-1979 तक बनी रहीं ।

बद्रीनाथ चड्ढा,
निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थान,

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

बम्बई-58, दिनांक 22 अक्तूबर 1979

सं० 2-12/79/92—कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय (कृषि विभाग) की विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थान, बम्बई, श्री डी० वी० रेड्डी, फार्म अधीक्षक, खारा पानी मत्स्य फार्म को 1 जुलाई, 1976 से फार्म अधीक्षक के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं ।

एस० एन० द्विवेदी,
निदेशक

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 15 अक्तूबर 1979

सं० ए-19024/4/79-प्र०—III—श्री जी० एन० गर्ग, वरिष्ठ रसायनज्ञ को क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, गाजियाबाद में तारीख 14-9-79 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक तदर्थ आधार पर स्थानापन्न मुख्य रसायनज्ञ के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

बी० एल० मनिहार
निदेशक, प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

(परमाणु खनिज प्रभाग)

हैदराबाद-500016, दिनांक 16 अक्तूबर 1979

सं० प० ख० प्र०-2/2798/78-प्रशासन—परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक ने उसी प्रभाग के अस्थायी सहायक सर्जन डा० पी० नरसिम्हा मूर्ती का त्याग-पत्र 28 सितम्बर, 1979 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है ।

दिनांक 22 अक्तूबर 1979

सं० प० ख० प्र०-1/13/78-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक श्री अजय कुमार तिलवांकर राव को उसी प्रभाग में 3 सितम्बर, 1979 को पूर्वाह्न से लेकर अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं ।

एम० एस० राव,
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

भारी पानी परियोजना

बम्बई-400008, दिनांक 16 अक्तूबर 1979

संदर्भ भापाप/स्था/1/चि-33/6006—भारी पानी परियोजना के विशेष-कार्य-अधिकारी, श्री दत्तात्रेय श्रीराम चिने, अस्थायी उच्च श्रेणी लिपिक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा स्थानापन्न सहायक लेखाकार, भारी पानी परियोजना (कोटा) को उसी परियोजना में 14 मई, 1979 (पूर्वाह्न) से 23 जून, 1979 (अपराह्न) तक के लिए स्थायी तौर पर तदर्थ आधार पर श्री एस० आर० शिंदियाली, सहायक लेखा अधिकारी, जो स्थानापन्न लेखा अधिकारी II नियुक्त किए गए हैं, के स्थान पर सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

सं० भापाप/स्था/1/एस-25/6007—भारी पानी परियोजना के विशेष-कार्य-अधिकारी, श्री शिवपुत्रा रेवप्पा

शिदलियाली, स्थायी अवर श्रेणी लिपिक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा भारी पानी परियोजना (कोटा) के स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी को 14 मई, 1979 (पूर्वाह्न) से 23 जून, 1979 (अपराह्न) तक के लिए श्री ए० एन० एम० गोविन्दस्वामी लेखा अधिकारी II के स्थान पर, जो छुट्टी पर हैं, अस्थायी तौर पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न लेखा अधिकारी II नियुक्त करते हैं ।

आर० सी० कोटियनकर,
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर 1979

सं० ए-38013/1/79-ई० ए० निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर श्री बी० एल० चड्ढा, सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली दिनांक 31 अगस्त, 1979 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत हो गए हैं।

सं० ए 38015/5/76-ई० ए०—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एस० टी० थामस, सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, मद्रास एयरपोर्ट, मद्रास दिनांक 30 सितम्बर, 1979 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं ।

बी० बी० जौहरी,
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर 1979

सं० ए० 35018/26/78—महानिदेशक नागर विमानन, निदेशक, लेखापरीक्षा, दक्षिण रेलवे, मदुरै मंडल कार्यालय के अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) श्री टी० पी० नेल्लायपन को नागर विमानन विभाग के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक प्रथम सितम्बर, 1979 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर रुपए 840–1200 के वेतनमान में लेखा अधिकारी (लागत) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

सी० के० वत्स,
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर 1979

सं० ए० 32013/4/79-ई० सी०–राष्ट्रपति ने श्री एल० आर० गर्ग, सहायक निदेशक संचार, महानिदेशक नागर विमानन (मुख्यालय) को दिनांक 24-9-79 (अपराह्न) से छः माह के लिए अथवा ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, उपनिदेशक संचार के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है और उन्हें उसी कार्यालय में तैनात किया है ।

दिनांक 19 अक्तूबर, 1979

सं० ए० 32014/4/79 ई सी—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री सरोज कुमार सेन, संचार सहायक, वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता को दिनांक 7-9-79 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सहायक संचार अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है और उन्हें उसी स्टेशन पर तैनात किया है ।

सं० ए० 32014/4/79-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री पी० ए० मथुनी, संचार सहायक, वैमानिक संचार स्टेशन पालम को दिनांक 5-9-79 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सहायक संचार अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है और उसी स्टेशन पर तैनात किया है ।

सं० ए० 32014/4/79-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन श्री एस० एन० भागवत, संचार सहायक, वैमानिक संचार स्टेशन, बेलगाम को दिनांक 29-9-79 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर सहायक संचार अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं और उन्हें वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई में तैनात करते हैं ।

सं० ए० 12025/1/78-ई० सी०–(राष्ट्रपति श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल को दिनांक 26-9-79 (पूर्वाह्न) से नागर विमानन विभाग के वैमानिक संचार संगठन में तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं और अन्य आदेश होने तक उन्हें निदेशक, रेडियो निर्माण एवं विमान एरक, नई दिल्ली के कार्यालय में तैनात करते हैं ।

सं० ए० 38012/1/79-ई० सी०—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर श्री आर० के० भादुरी, सहायक तकनीकी अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, रायपुर ने दिनांक 31-8-79 (अपराह्न) को अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है ।

आर० एन० दास
सहायक निदेशक प्रशासन

निर्माण महानिदेशालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 17 अक्तूबर 1979

सं०-33/11/78-ई० स्था०-9–(राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित श्री एम० ए० अर्जाज को उप-वास्तुविद के नाते अस्थायी पद पर रुपए 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 के वेतनमान में सामान्य नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 14-9-79 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते है ।

2. श्री अज़ीज़ को उनकी नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर उप-वास्तुविद के नाते रखा गया है ।

हर्ष देव सिन्हा,
प्रशासन उप निदेशक

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनी विधि बोर्ड
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और अप्राच्ची डयरी एण्ड एग्रीकल्चरल फार्म प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास, दिनांक 23 अक्तूबर 1979

सं० 6938/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अप्राच्ची डयरी एण्ड एग्रीकल्चरल फार्म प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और रफ़ीक-षफ़ीक लेदर्स प्रा.ईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास, दिनांक 23 अक्तूबर 1979

सं० 7025/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि रफ़ीक-षफ़ीक लेदर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

के० पञ्चापकेशन
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली-110002

नई दिल्ली-110002, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/10-79/395—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 840 वर्ग गज जमीन है, तथा जो गांव पीरां गढ़ी दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-2-1979

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरीकिशन, श्री कृष्ण व बाल कृष्ण पुत्रगण श्री परसराम निवासी 17/25 पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री हरिन्दर सिंह हसनवालिया पुत्र श्री आई० एस० हसनवालिया निवासी बी-87 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय-20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

लाल डोरा जमीन क्षेत्रफल 840 वर्ग गज जो 2520 वर्ग गज का हिस्सा है, खसरा नं० 487/53, 487/54 व 487/60 जो गांव पीरां गढ़ी दिल्ली राज्य दिल्ली में स्थित है ।

डी० पी गोयल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2
4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/10-79/396—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 840 वर्ग गज जमीन है, तथा जो गांव पीरां गढ़ी दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-2-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों), के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हरी कृष्ण, श्री कृष्ण व बाल कृष्ण पुत्रगण श्री परसराम निवासी 17/25 पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. मैं० कुलवन्त इलैक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज एच-1/9, कृष्णनगर इनके पार्टनर श्री हरचरन सिंह हसनवालिया के द्वारा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लाल डोरा, जमीन क्षेत्रफल 840 वर्ग गज जो 2520 वर्ग गज का हिस्सा है, खसरा नं० 487/53, 487/54 व 487/60 गांव पीरां गढ़ी दिल्ली राज्य दिल्ली में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु-III/10-79/397—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 840 वर्ग गज जमीन है, तथा जो गांव पीरां गढ़ी दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-2-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरी कृष्ण, श्री कृष्ण व बाल कृष्ण पुत्रगण श्री परसराम निवासी 17/25 पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री हरसरन सिंह हुसनवालिया पुत्र स० कुलवन्त सिंह निवासी एच-1/9, कृष्णन नगर, दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लाल डोरा जमीन क्षेत्रफल 840 वर्ग गज, जो 2520 वर्ग गज का हिस्सा है, खसरा नं० 487/53, 487/54 व 487/60 गाँव पीरां गढ़ी दिल्ली राज्य दिल्ली में स्थित है।

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली-1 दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०III-/10-79/398—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 83 है, तथा जो वैस्ट एवेन्यू रोड़ पंजाबी, बाग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26 फरवरी 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री ओंकार सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी लिंक रोड कटक (उड़ीसा) अब 2747, मिनर्वा लेन कश्मीरी गेट, दिल्ली-6 (अन्तरक)

2. श्री रजनीश कुकरेजा पुत्र हरीश कुकरेजा निवासी ए-9, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-52 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, प्लाट नं० 83, वैस्ट एवेन्यू रोड पंजाबी बाग, गांव मादीपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्रकप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/10-79/399—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3/8 हिस्सा मकान नं० 846 वार्ड नं० 16, है, तथा जो ब्लाक एफ्स, डब्ल्यू० ई०ए० करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-2-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री लखन लाल पुत्र सेठ लक्ष्मन दास निवासी 2 बी/1, गंगाराम होस्पोटल रोड, राजिन्दर नगर, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. कुमारी वी० के० अरुणा पुत्री श्री ब्रह्मा व कुमारी वी० के० रेनु पुत्री श्री ब्रह्मा निवासी 25, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

3/8 हिस्सा (अविभाजित) मकान जिसका नं० 486 वार्ड नं० 16, ब्लाक एफ, डब्ल्यू० इ०ए० करोल बाग, जोशी रोड, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

उत्तर : मकान जिसका खसरा नं० 198/31

दक्षिण : मकान जिसका खसरा नं० 200/31

पूर्व : सड़क

पश्चिम : गली।

डी० पी० गोयल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-10-1979

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०-3/10-79/400—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति. जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 10211 ब्लाक एस० है, तथा जो डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 27-2-1979 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० लेखराज चानना एण्ड सन्स (हि० अ० प०) द्वारा श्री लेख राज चानना (करता) 14 ए/31 डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग नई दिल्ली (2) श्रीमती सरला खुल्लर निवासी 3 बी/5 पूर्वी मार्ग नई दिल्ली (3) मै० एस० आर० चानना एण्ड सन्स द्वारा पार्टनर श्री एस० आर० चानना निवासी 9 ए/31 डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग नई दिल्ली (अन्तरक)

2. मै० बिहारी लाल चन्दर (हि० अ० प०) द्वारा बिहारी लाल चन्दोक निवासी 270 तिलक बाजार दिल्ली (2) मै० चांद प्रकाश एण्ड सन्स (हि० अ० प०) द्वारा चांद प्रकाश (करता) 41 पूसा रोड नई दिल्ली (अन्तरिती)

3. (1) मै० मे० बेकर (इण्डिया) प्रा० लि०,
(2) इण्डियन बैंक,
(3) एस० आर० चानना एण्ड सन्स,
(4) मोहन ब्रादर्स एसोसिएटस,
(5) ओम प्रकाश दर्शन लाल,
(6) जौली फुट वियर (इण्डिया),
(7) लैदर लिक्स

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला मकान जो प्लाट क्षेत्रफल 444 वर्ग गज पर बना है। खसरा नं० 1451/1255 ब्लाक एस० जिसका म्युनिसिपल नं० 10211 है वैस्टरन एक्टेन्शन एरिया करोल बाग नई दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है :—

उत्तर : सड़क
दक्षिण : सड़क
पूर्व : मकान नं० 1452/1255
पश्चिम : मकान नं० 1450/1255

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-III/10-79/401—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० आर०-710 है, तथा जो नया राजिन्दर नगर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-2-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती विद्यावती पत्नि एम० एल० मेहता निवासी आर-710, न्यू राजिन्दर नगर नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री ओम कुमार आई० ए० एस० व श्री विमल कुमार पुत्रगण डा० हरिकिशन दास निवासी बी 342 नया राजिन्दर नगर नई दिल्ली (अन्तरक)

3. श्री ओ० पी० सोनी व अशोक कुमार मेहता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम के अध्याय 70-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला मकान जिसका नं० आर-710 क्षेत्रफल 200 वर्ग गज नया राजिन्दर नगर नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : सर्विस लेन
पश्चिम : सड़क
उत्तर : आर 709, नया राजिन्दर नगर नई दिल्ली
दक्षिण : साईड रोड ।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निदेश स० आई० ए० सी०/एक्यु०- /10-79/402—

यतः मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एन-24 है, तथा जो मालवीय नगर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालयनई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी 1979 में

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. डा० राम कृष्ण खत्री पुत्र स्वर्गीय श्री गोविन्द राम खत्री निवासी 11901, बचबैरी लेन गेयरस्वू मेरी लेण्ड (य० एस० ए०) अब निवासी एन-23, मालवीय नगर नई दिल्ली द्वारा श्री भीम सेन सपरा पुत्र स्वर्गीय मदन लाल सपरा निवासी जे-145, अशोक विहार नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री जे० सी० गांधी पुत्र स्वर्गीय श्री शान्ति लाल गांधी निवासी एफ-95, लाजपत नगर नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० एन-23 मालवीय नगर नई दिल्ली जो लीज होल्ड प्लाट क्षेत्रफल 200 वर्ग गज पर स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-/10III-79/403—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० बी-42 है, तथा जो ज्योति नगर (पूर्व) लोनी रोड़ शाहदरा दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-2-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मनोहर लाल बन्सल पुत्र चन्दगीराम 4/21 जयदेव पार्क रोहतक रोड़ दिल्ली (2) रमेश चन्द जैन पुत्र श्री छो, लाल 4345, गली बाह जी सदर बाजार दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री राजिन्दर सिंह अलघ पुत्र रतन सिंह अलघ, 1196, रोहताश नगर शाहदरा दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक रिहायशी प्लाट नं० 42 ब्लाक बी क्षेत्रफल 533.3 वर्ग गज जो कालोनी ज्योति नगर (पूर्व) लोनी रोड शाहदरा दिल्ली जो खसरा नं० 869 गांव गोकलपुर शाहदरा में निम्न प्रकार स्थित है :—

उत्तर : दूसरों की भूमि
पूर्व : सर्विस लेन
पश्चिम : मेन रोड
दक्षिण : प्लाट नं० बी/41।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/एक्यु॰III/10–79/404—अतः मुझे, डी॰ पी॰ गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिस की सं॰ 1/17 है तथा जो पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 16-2-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब; उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती गुरचरनकौर विधवा पत्नी श्री उत्तम सिंह निवासी 1/17, पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) श्री राज कृष्ण कुमार पुत्र दासमल निवासी 6/50 पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला मकान नं॰ 1/17 पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली में निम्न लिखित प्रकार स्थित है।

उत्तर पश्चिम : सड़क 30 फुट चौड़ी
दक्षिण पूर्व : सर्विस लेन
उत्तर पूर्व : साइड रोड़
उत्तर पश्चिम : मकान नं॰ 1/18

डी॰ पी॰ गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

दिनांक : 9 अक्तूबर 1979
मोहर :

प्रूफ आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2
4/14 क, आसफअली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एयु०-III/10-79/405—अतः मुझे, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 4ए/31 है तथा जो पुराना राजिन्दर नगर दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 20-2-1979 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीमती कुन्ती देवी पत्नि स्वर्गीय श्री करम चन्द खन्ना निवासी 4ए/31 पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) श्री दर्शन लाल पुत्र शंकर दास निवासी टी-311, बलजीत नगर नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान नं० 4ए/31 पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली लीजहोल्ड प्लाट पर निम्न प्रकार स्थित है :—

उत्तर : गली
दक्षिण : गली
पूर्व : सरकारी बना मकान
पश्चिम : सरकारी बना मकान

डी० पी० गोयल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकल कर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

दिनांक : 9 अक्तूबर 1979
मोहर :

फार्म आई० टी० ए०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -III, दिल्ली-1

4/14 क, आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/10-79/406—अतः मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जे-8/111 है तथा जो राजोरी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 7-2-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, **मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन,** निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ध्यान सिंह पुत्र गंडा सिंह निवासी जे-8/111 राजोरी गार्डन, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती विनीना सचदेवा पत्नि डा० राजिन्दर कुमार सचदेवा निवासी 7055, बेरी वाला बाग, पुल बंगेश दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान प्लाट नं० जे-8/111 क्षेत्रफल 160 वर्ग गज पर बना है राजोरी गार्डन, गांव ततारपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में स्थित है ।

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-10-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-III/10-79/407—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 39 क्लास सी है, तथा जो वैस्ट एवेन्यू रोड पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-2-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्यारा सिंह अमर जीत सिंह पुत्रगण स० संता सिंह निवासी 327 व 328, सीलमपुर फेज-III शाहदरा दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री जसबीर सिंह व जनकबीर सिंह पुत्रगण स० राम सिंह निवासी 21/56, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्री होल्ड प्लाट नं० 39, वैस्ट एवेन्यु रोड़, क्लास सी क्षेत्रफल 555,55 वर्ग गज कालोनी पंजाबी बाग, गांव मादीपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है।

उत्तर : सर्विस लेन
दक्षिण : वैस्ट एवेन्यु रोड़
पूर्व : प्लाट नं० 37
पश्चिम : प्लाट नं० 41

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/10-79/408—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० 3 ए-83 है, तथा जो इन्दरपुरी ऐक्सटैन्शन नई दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-2-1979
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र हरनाम दास निवासी इ० ए० 83 इन्दरपुरी ऐक्सटैन्शन, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री अमृत के० चड्ढा पुत्र श्री वी० पी० चड्ढा निवासी जी-149, नारायण विहार, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान प्लाट नं० ई० ए० 83 क्षेत्रफल 200 वर्ग गज पर बना है इन्दरपुरी ऐक्सटैन्शन, नई दिल्ली में स्थित है।

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,-III नई दिल्ली-1

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर **अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की** धारा **269-घ(1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-III/10-79/409—यत:, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 **का 43**) **(जिसे इसमें** इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' **कहा गया है), की** धारा **269-ख** के अधीन सक्षम प्राधिकारी **को, यह विश्वास** करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका **उचित** बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 13/30 है, तथा जो अजमल खां रोड, डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20 फरवरी 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित **बाजार** मूल्य से कम के **दृश्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित **की गई है और मुझे** यह **विश्वास** करने का कारण है कि **यथापूर्वोक्त** सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का **पन्द्रह प्रतिशत** से अधिक है **और यह** कि अन्तरक (**अन्तरकों**) और अन्तरिती (**अन्तरितियों**) **के बीच** ऐसे **अन्तरण के लिए** तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित **उद्देश्य** से **उक्त अन्तरण** लिखित में वास्तविक रूप से कथित **नहीं** किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त **अधिनियम के अधीन** कर देने के **अन्तरक** के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा **के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के **प्रयोजनार्थ अन्तरिती** द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) **के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—**

1. श्रीमती हरमिन्दर कौर उर्फ मोहिन्दर कौर पत्नी त्रिलोक सिंह चावला निवासी 1/6 बी, पूसा रोड, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती शोभा रानी पत्नि बी० डी० मेहरा निवासी ए-9, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त **सम्पत्ति के अर्जन के लिए** कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में **कोई भी आक्षेप**—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन **की तारीख** से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी **व्यक्तियों** पर सूचना की तामील से **30 दिन की अवधि, जो भी अवधि** बाद में **समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त** व्यक्तियों में से किसी **व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन **की तारीख से 45** दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में **हितबद्ध** किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, **अधोहस्ताक्षरी के** पास **लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त **शब्दों और पदों** का, **जो उक्त** अधिनियम के अध्याय **20-क में परिभाषित** हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कमर्शियल मकान नं० 13/30 क्षेत्रफल 256.67 वर्ग गज, अजमल खां रोड, डब्ल्यू० इ० ए० करोल बाग, नई दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है:—

उत्तर : सड़क
दक्षिण : लेन
पूर्व : अजमल खां रोड
पश्चिम : प्लाट नं० 29।

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

नई दिल्ली-2, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-III/10-79/410—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० एस-4 है, तथा जो ग्रीन पार्क एक्सटैन्शन (मार्किट) नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 28-2-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन व अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री परमेश्वर नाथ मदान 2123, सैक्टर 15-सी चण्डीगढ़ ।

(अन्तरक)

2. मै० सुरेशचन्द जैन (लि० अ० प०) बी-1/30 ए होज खास इन्क्लेव, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

3. मै० एक्सपोर्ट इण्डिया कारपोरेशन बी-1/30-ए होज खास इन्कलेव, नई दिल्ली । (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ढाई मंजिला मकान जो फ्री होल्ड कमर्शियल प्लाट नं० 4 ब्लाक एस क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (167.441 वर्ग मीटर) कालोनी ग्रीन पार्क एक्सटेनशन गांव युसुफ सराय जाट जो दिल्ली कुतुब रोड पर है निम्न प्रकार स्थित है :—

पूर्व : प्लाट नं० एस-3
पश्चिम : मकान नं० एस-5
उत्तर : सड़क
दक्षिण : लेन

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली-2, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-III/10·79/411—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 13/22 है, तथा जो डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-2-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देय के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को किसी भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री धर्मपाल अनेजा, मदन गोपाल अनेजा, राजिन्द्रा अनेजा व कृष्ण गोपाल अनेजा पुत्रगण जी राम दित्ता मल निवासी 3929, गली नं० 28, रेगरपुरा करोल बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री करतार सिंह पुत्र स्व० श्री सुन्दर सिंह
(2) श्री सुरिन्द्र पाल सिंह
(3) उपकार सिंह
(4) बजपाल सिंह
(5) अरविन्दर पाल सिंह पुत्र गण श्री करतार सिंह निवासी 5-नार्थ एवेन्यू रोड़ पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 13/32, डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली जो प्लाट क्षेत्रफल 284 वर्ग गज है, निम्न प्रकार स्थित है :—

उत्तर : प्लाट नं० 31
दक्षिण : प्लाट नं० 33
पूर्व : सड़क
पश्चिम : सर्विस लेन ।

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/10-79/412—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 53/42 है, तथा जो राम जस रोड़ डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14 फरवरी 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन व अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सन्त राम आनन्द पुत्र श्री स्व० किरपा राम आनन्द निवासी 53/42 रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली, लेफ्टिनेन्ट क० टी० एन० आनन्द, के द्वारा (अन्तरक)

2. श्री सुन्दर लाल तथा रमेश चन्द पु०/श्री पिरू मल निवासी 4431, क्लोथ मार्किट, फतेहपुरी, दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ढाई मंजिला मकान क्षेत्रफल 267.7 वर्ग गज जिसका प्लाट नं० 42 ब्लाक 53, रामजस रोड़ डब्ल्यू ई० ए० में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंजIII, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-3/10-79/413—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 57/18 है, तथा जो ओल्ड राजिन्दर नगर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) अधीन, तारीख 6 फरवरी 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रेम प्रकाश नारंग पु० श्री शिव नारायण निवासी 57/18 ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली (अन्तरक)
2. श्रीमती कैलाश देवी पत्नी श्री कृष्ण लाल निवासी 2439, गली नं० 11, बीडनपुरा करोल बाग, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक मकान नं० 57/18 जो प्लाट क्षेत्रफल 88 वर्ग गज पर बना है, पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली निम्न प्रकार से स्थित है :—

उत्तर में : सड़क
दक्षिण में : खुली सड़क
पूर्व में : सर्विस लेन
पश्चिम में : मकान नं० 57/18 ।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-1,

तारीख : 9-19-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-3/10-79/414—यत, मुझे, डी० पी० गोयल, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख** के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० जे-9/64 है, तथा जो राजोरी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-2-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सितम्बर सिंह बनाम सातम्बर सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह निवासी लाखदुहा, तहसील नवां शहर जलन्धर अब 4/3097, रणजीत नगर नई दिल्ली (अन्तरक)
2. श्री हंस राज रावल पुत्र बग्गा मल रावल निवासी जे-5/67, राजोरी गार्डन नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्री होल्ड प्लाट नं० 64 ब्लाक जे-9, क्षेत्रफल 320 वर्गगज, रिहायशी कालोनी राजोरी गार्डन, गांव ततारपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है :—

उत्तर : प्लाट नं० जे-9/65 (बना हुआ मकान)
दक्षिण : प्लाट नं० जे-9/63 (बना हुआ मकान)
पूर्व : मकान नं० जे-9/3
पश्चिम : सड़क

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-3/10-79/415—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 61/12 है, तथा जो पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-2-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1 श्रीमती सुशीला देवी, वीरन -वी, शकुन्तला देवी विद्यावती, लीलावती निवासी सभी, 33/57 रामजस रोड करोल बाग, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री तीरथ राम पुत्र श्री मूल चन्द निवासी 61/12 पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ढाई मंजिला मकान नं० 61/12 जो 85.9 वर्ग गज में बना है, पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व में : सड़क
पश्चिम में : सर्विस लेन
उत्तर में मकान नं० 61/11 पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली।
दक्षिण में : मकान नं० 61/13 पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली-3, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-3/10-79/416—यत:, मुझे, डी० पी० गोयल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 340/1 है, तथा जो जी० टी० रोड़, शाहदरा दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1979 को
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मै० बुधवार एण्ड कं० द्वारा श्री जगन्नाथ पुत्र लाला रामरूप (प्रोपराइटर) निवासी 340/1 जी० टी० रोड़, शाहदरा दिल्ली

(अन्तरक)

2. मै० एलोरा इन्डस्ट्रीज 340/1 जी० टी० रोड़ शाहदरा द्वारा इनके पार्टनर श्री राजिन्दर कुमार छाबड़ा पुत्र श्री शाम लाल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक वर्कशाप शैड नं० 3401, जो जी० टी० रोड़, शाहदरा दिल्ली -32 में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰टी॰एन॰एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, दिल्ली-2

नई दिल्ली-2, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-3/10-79/417—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 16 सड़क नं० 40 है, तथा जो पंजाबी बाग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-2-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र नगिन्दर नाथ निवासी डी-131, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री सागर मल पुत्र मंगली राम श्रीमती धनपति देवी पत्नि नौरंग राय निवासी 12/52 पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 16 सड़क नं० 40 क्लास डी० क्षेत्रफल 279.55 वर्ग गज कालोनी पंजाबी बाग गांव मादीपुर दिल्ली में निम्न-प्रकार से स्थित है :—

उत्तर : सर्विस लेन
दक्षिण : सड़क
पूर्व : प्लाट नं० 14
पश्चिम : प्लाट नं० 16-ए।

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-3/10-79/418—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 4/618 है तथा जो भोला नाथ नगर शाहदरा दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-2-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्ननिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जगदीश राज गरोवर पुत्र श्री ऋषि राम गरोवर निवासी 1 एफ 4 लाजपत नगर, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमती कान्ता देवी जैन प० श्री दीप चन्द जैन निवासी 4/618 भोला नाथ नगर, शाहदरा दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

एक फ्री होल्ड रिहायशी मकान मु० नं० 252-ए/3 के और अब 4/618 खसरा नं० 624 मिन का हिस्सा, खेवट नं० 1 गांव चन्द्रावली आबादी भोला नाथ नगर, ब्लाक डी० एस० इलाका शाहदरा नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व में : सड़क 14 वाईड
पश्चिम में : सड़क 8' वाईड
उत्तर में : प्लाट नं० 116 और मु० नं० 4/619
दक्षिण में : प्लाट नं० 114 और मु० नं० 4/617

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-3/10-79/419—यत:, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 19½ बीसवा (983 वर्ग गज) है, तथा जो गांव नवादा दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची है और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-2-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रतन लाल, सूरत सिंह, देस राम, मोहन लाल, राम चैल, धर्म सिंह, नन्द लाल, भगवान दास पुत्र श्री भोला निवासी गांव नवादा, दिल्ली राज्य दिल्ली
(अन्तरक)

2. श्री नानक चन्द पुत्र श्री साधू राम निवासी 63, एम० एम० मोतिया खान, पहाड़गंज दिल्ली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि का एक टुकड़ा 19½ बीसवा (983 वर्ग गज) खसरा नं० 674, गांव नवादा, माजरा हस्थल, दिल्ली राज्य दिल्ली।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-10-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०——

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-1,

न दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-3/10-79/420—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 19½ बिसवा (983 वर्ग गज) है, तथा जो गांव नवादा दिल्ली राज्य दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-2-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भगवान दास, नन्द लाल, राम फैल, धर्म सिंह, रतन लाल, सूरत सिंह, दया राम और मदन लाल पुत्र श्री भोला निवासी गांव नवादा, दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री बाल चन्द पुत्र श्री साधू राम निवासी एफ-136 फेस-2 रिवाड़ी लेन, मायापुरी, दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक भूमि का टुकड़ा 19½ बीसवा (983 वर्ग गज) खसरा नं० 674 गांव नवादा माजरा हस्थल दिल्ली राज्य दिल्ली में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-10-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/10-79/421—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० 7/81 है, तथा जो पंजाबी बाग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 क 16) के अधीन फरवरी 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री ले० कर्नल जोगिन्दर सिंह धोदी स्वयं व दली सिंह के अटारनी (2) कर्नल गुरचरन सिंह धोदी (3) सुरिन्दर सिंह धोदी पुत्रगण स्व० मेजर गोपाल सिंह फतेह निवासी 7/71, पंजाबी बाग नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री शाम सुन्दर पुत्र लाजपत राय (2) नरेश कुमार पुत्र शाम सुन्दर निवासी 7/81 पंजाबी बाग (3) कमला रानी पत्नि शाम सुन्दर निवासी 7/81 पंजाबी बाग नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 7 सड़क नं० 81 क्षेत्रफल 555.55 वर्ग गज कालोनी पंजाबी बाग, गांव मादीपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है :—

उत्तर : प्लाट नं० 5 (बना हुआ मकान)
दक्षिण : प्लाट नं० 9 (खाली)
पूर्व : सड़क नं० 81 (30 फुट चौड़ी)
पश्चिम : सर्विस लेन (15 फुट चौड़ी)।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-III/10-79/422—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 1/2 हिस्सा एन-19का है, तथा जो ग्रीन पार्क, एक्सटैनशन नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21 फरवरी 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सत प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री लेख राम अग्रवाल निवासी 22 असीदा कुटीर 217-सी माऊन्ट मैरी रोड, बांदरा बम्बई

(अन्तरक)

2. श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र शेर सिंह शेर द्वारा पाल एण्ड एसोसिएटस जी-48, ग्रीन पार्क नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/2 हिस्सा प्लाट नं० एन-19 क्षेत्रफल 333 वर्ग गज (सारा प्लाट 666 वर्ग गज) ग्रीन पार्क एक्सटैनशन नई दिल्ली में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-III/10-79/423—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1/2 हिस्सा एन-19 का है, तथा जो ग्रीन पार्क एक्सटैनशन नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23 फरवरी 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती सीता देवी पत्नी बेद प्रकाश बन्सल निवासी 57/20 अशोक नगर नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्रीमती ईश्वर कौर पत्नि गुरबख्श सिंह निवासी एफ-62 ग्रीन पार्क नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/2 हिस्सा प्लाट नं० एन-19 क्षेत्रफल 333 वर्ग गज (सारा 666 वर्ग गज) ग्रीन पार्क एक्सटैनशन नई दिल्ली।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०-/III10-79/424—यतः मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी-19 है, तथा जो मालवीय नगर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-2-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नरिन्दर नाथ शर्मा पुत्र मुसतानी राम निवासी सी-19, मालवीय नगर नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री महेन्दर सिंह पुत्र श्री धारा सिंह निवासी एच-314, मालवीय नगर नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

मकान सं० सी-19, जो प्लाट क्षेत्रफल 291 वर्ग गज पर बना है, मालवीय नगर नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-2/फरवरी-75/4965—यतः, मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० बी-7/37 है, तथा जो राजपुर रोड़ सिविल लाईन्स दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० सिंधिया इनवैस्टमैंट प्रा० लि० मुख्य आफिस ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

(अन्तरक)

2. श्री रविन्दर सिंह, अजय सिंह व राजेश सिंह निवासी 145, गुजरांवाला टाऊन, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० बी-7/37 क्षेत्रफल 490 वर्ग मीटर, राजपुर रोड़ सिविल लाईन्स, दिल्ली में स्थित है।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 17-10-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली,

नई दिल्ली-1, दिनांक 11 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु/I/एस० आर०-III/2-79/1011—यत:, मुझे, कुमारी अंजनी ओजा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषक भूमि है, तथा जो गांव बिजवासन तहसील महरौली, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 का 16) के अधीन, तारीख 3 फरवरी 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री करतार सिंह सपुत्र श्री लखी राम पता बिजवासन असेनी फोर मीर सिंह सपुत्र श्री रमेश पता बिजवासन, तहसील महरौली, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री वेद प्रकाश दिवान सपुत्र श्री अमर नाथ दिवान पता ई-37, शास्त्री नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषक भूमि जिसका नाप 19 बिघा 1 बिसवा एक्ट नं० 33 किला नं० 16 (4-13) 25 (4-16) 209-34, कृषक भूमि जिसका नाप 19 बिघा 1 बिसवा एक्ट नं० 33 किला नं० 16 (4-13) 25 (4-16) 209-34, 20 (4-16) और 21 (4-16) जो गांव बिजवासन तहसील महरौली नई दिल्ली में स्थित है जिसका विवरण तथा रजिस्ट्री दिनांक 3-2-1979 है।

कुमारी अंजनी ओजा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 11-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/I/एस० आर०-III/2-79/1079/78-79—यतः, मुझे कुमारी अंजनी ओजा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो गांव गदयपुर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-2-1979 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. भागवती भरत सिंह पुत्री बिहारी लाल, शान्ति पत्नी धर्म सिंह पुत्री हंस राज, चम्पी पत्नी दिवान सिंह, हीरा वती पत्नी अतर सिंह द्वारा जी० ए० दयाराम निवासी गांव गदयपुर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री प्रभजी सिंह पुत्र आया सिंह निवासी गदयपुर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि क्षेत्रफल 7 बिघा, खसरा नं० 229(4—9), 231(1—1), 272 (मिन०) (1—10) स्थित गांव गदयपुर, तहसील महरौली, नई दिल्ली।

कु० अंजनी ओजा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 18-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1,

नई दिल्ली-1, दिनांक 19 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-3/2-79/1070/78-79—यतः, मुझे, कुमारी अंजनी ओजा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० S-416 है, तथा जो ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीतां अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24 फरवरी 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचने, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए?

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री विनय मैहता पुत्र श्री सत्यपाल मैहता निवासी 3A/3 आसफ अली रोड़ नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

2. श्री मनीन्द्रबीर सिंह आनन्द पुत्र जसवन्त सिंह आनन्द निवासी 3A/3 आसफ अली रोड़, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक फ्री होल्ड प्लाट नं० एस-416, ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली जिसका क्षेत्रफल 556 वर्ग गज है और जिस की बौंडरी निम्नलिखित है :—

पूर्व : सर्विस लेन
पश्चिम : रोड़
उत्तर : प्लाट नं० एस-414
दक्षिण : प्लाट नं० एस-418 ।

कु० अंजनी ओजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 19-10-1979
मोहर

प्रारूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 अक्तूबर 1979

निदश सं० आ०० ए सी०/एक्यु०/1/2-79/1051/78-79—यतः, मुझे, कुमारी अंजनी ओजा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 119 है, तथा जो गोल्फ लिंक नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-2-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी अन्य या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती प्रकाश वती पत्नी श्री ओम प्रकाश निवासी 25, हनुमान रोड़, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री एन० एस० पारथासारथी, एन०, एस० पद्मनाभन, कु० एन० एस० राज , पुत्री/पुत्री श्री एन० पी० सेशादरी, निवासी 20/1 लोधी रोड़ नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक 2 1/2 मंजला मकान नं० 119 गोल्फ लिंक नई दिल्ली जिसका क्षेत्रफल 375 वर्ग गज है।

कु० अंजनी ओजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 18-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1 दिनांक 18 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-3/क०-47/1040/78-79—यतः, मुझे, कुमारी अंजनी ओजा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 4 बिघा 16 बिस्वा, कृषि भूमि है, तथा जो गांव गवई पुर तहसील महरौली नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-2-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिय तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्रीमती बलजीत कौर धुपीया स्त्री एस० एस० धुपीया श्री मनजोत सिंह धुपीया पुत्र मेहरबन सिंह धुपीया पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट गली नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्रीमती कमलेश नारंग स्त्री के० सी नारंग डी०-51 अशोक बिहार फेज-2 नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषक भूमि 4 बिघा 16 बिस्वा खसरा नं० 315 गांव गवई पुर तहसील महरौली नई दिल्ली ।

कु० अंजनी ओजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 18-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-3/2-79/1033/78-79—यतः, मुझे, कु० अंजनी ओजा **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ङ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है**

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो गांव सुलतान पुर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-2-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचा उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त, अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्री शिव लाल पुत्र चानन राम निवासी एम–7, मालविया नगर, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. (1) श्री खरैती लाल, पुत्र गोपाल दास निवासी ए-IV/19, दयानन्द कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली (1/2)

(2) श्रीमती शीला वन्तो पत्नी राम लाल, स्वदेश रानी पत्नी जग मोहन, रमेश कुमार पुत्र राम लाल (1/2 हिस्सा), निवासी 1552, कोटला मुबारक नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20–क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि 14 बीघा 11 बिसवा, खसरा नं० 749, 748, 747, 750, 751, नलकूप के साथ, स्थित गांव सुल्तानपुर, तहसील महरौली, नई दिल्ली ।

कु० अंजनी ओजा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 18-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु II/ एस० आर० III/ 2-79/1015/78-79—यतः, मुझे, कुमारी अंजनी ओजा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 28, ब्लाक 205 है, तथा जो स्कूल लेन नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5 फरवरी 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण पर हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती अतर कौर पत्नी श्री बलदेव सिंह दुग्गल निवासी डी-17, एन० डी० एस० सी० पार्ट-1 नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्रीमती जपिन्द्र कौर पत्नी शमशर सिंह निवासी 28 स्कूल लेन, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान नं० 28; ब्लाक नं० 205, स्कूल लेन नई दिल्ली जिसका क्षेत्रफल 330 वर्ग गज है।

अंजनी ओजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 18-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई•टी०एन•एस•————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 19 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/एस० आर०-III/2-79/1008—यतः, मुझे, कुमारी अंजनी ओझा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ई-163 है, तथा जो कालकाजी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री ब्रिज भूषण आनन्द श्री मथुरा दास आनन्द आफ क्वार्टर नं० ई-163 कालकाजी नई दिल्ली-110019

(अन्तरक)

2. श्री कृष्ण लाल आनन्द श्री मथुरा दास आनन्द मकान नं० 58 बी डी गांधी नगर जम्मू कश्मीर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

क्वार्टर नं० ई-163 क्षेत्रफल 200 गज कालकाजी नई दिल्ली।

कु० अंजनी ओझा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 19-10-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-III/फर०/1006/78-79—यतः मुझे, कु० अंजनी ओजा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 4 बीघा 16 बिसवा है, तथा जो गांव सुल्तानपुर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-2-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को; जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री राज पाल पुत्र श्री धुनी राम गांव सुल्तानपुर तहसील महरौली, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री भूप सिंह हरबन्स सिंह चन्दर सिंह ज्ञान सिंह, आजाद सिंह पुत्र श्री फतन सिंह गांव सुल्तान पुर तहसील महरौली, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषक भूमि 4 बीघा 16 बिश्वा खसरा नं० 398 गांव सुल्तान पुर तहसील महरौली नई दिल्ली ।

कु० अंजनी ओजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 18-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 27 सितम्बर, 1979

निदेश सं॰ ए॰ पी॰ नं॰ 1955—यतः मुझे बी॰ एम॰ दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं॰ जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), (रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9 फरवरी, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती बिमलारानी पत्नी बाल राम 185 आदर्श नगर, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती विद्यावंती पत्नी चूनी लाल 20-X न्यू विजय नगर, जलन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं॰ 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख सं॰ 7527 फरवरी 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी॰ एम॰ दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 27-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1956—यत: मुझे, बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 1979 में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री दलीप सिंह पुत्र हजारा सिंह 73 आदर्श नगर, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री रोशन लाल पुरी पुत्र भगत राम पुरी 73 आदर्श नगर, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 7705 फरवरी, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28 सितम्बर, 1979
मोहर :

प्राई॰ टी॰एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 अक्तूबर, 1979

निर्देश सं॰ ए॰ पी॰ नं॰ 1957—यतः मुझे बी॰ एस॰ दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है,

और जिसकी सं॰ जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जोगिन्द्र सिंह भाटिया पुत्र सम्पूर्ण सिंह 82-ए, गुर्जपाल नगर, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री मोहनबीर सिंह पुत्र हरबेल सिंह 82-ए, गुर्जपाल नगर, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर नं॰ 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख सं॰ 7388 फरवरी, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी॰ एस॰ दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 6 अक्तूबर, 1979

निदश सं० ए० पी० नं० 1958—यत: मुझे, बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो गांव वीरयाना (जालन्धर) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 1979

में पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया गया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) श्री सुरिन्द्र नाथ पुत्र औलख प्रकाश लाडोकली रोड, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) जे० बी० सोतबरगा इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, कपूरथला।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्प सें हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 6985 फरवरी, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 6-10-1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर दिनांक 6 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1959—यतः मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो गांव वरियाना (जलन्धर) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 1979 में

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए'।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राजिन्द्र कुमार पुत्र औंकार प्रकाश गाड़ोदिया रोड, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) जे० बी० सोलवक्ष इन्डस्ट्रीज (प्रा० लि०, जलन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक कपूरथला।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख सं० 7991 फरवरी, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 6-10-1979

मोहर :

प्ररूप आई०टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अक्तूबर, 1979

निदेश सं० 1960—यतः मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 1979

में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मंगत सेन कुमार पुत्र लक्ष्मी दास जी० ए० कमल कृष्ण पुत्र देवी दित्ता मल नरसरी नं० 6 माडल टाउन, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री 1. चरन सिंह, 2. मोहन सिंह पुत्र सोहन सिंह, 3. मनजीत सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र मोहन सिंह, 5. करनैल सिंह और मुखतार सिंह पुत्र बिशन सिंह निजातम नगर, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 7995 फरवरी, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अक्तूबर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1961—यतः मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो हुशियारपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हुशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 1979 में

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अनंत राम पुत्र मोहन लाल जेल रोड नजदीक तहसील हुशियारपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती लीलावती पत्नी मनोहर लाल मार्फत शिव दयाल उत्तम चन्द रेलवे रोड, हुशियारपुर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4372 फरवरी, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हुशियारपुर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-10-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अक्तूबर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1962---यतः मुझे, बी० एम० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो हुशियारपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हुशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1979 में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री अनन्त राम पुत्र मोहन लाल, जेल रोड नजदीक तहसील हुशियारपुर

(अन्तरक)

(2) श्री राना वरिन्द्र सिंह पुत्र मधुसूदन सिंह पुत्र सलामत राये हौ तनाल, पो० एस० सदर हुशियारपुर।

(अन्तरिती)

(3) जसा कि ऊपर नं० 2 में है

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4373 फरवरी, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हुशियारपुर में लिखा है।

बी० एम० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 11-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जलन्धर, दिनांक 11 अक्तूबर, 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1363—यतः मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो गांव बूलोवाल (जालन्धर) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री गुरदित सिंह पुत्र मंगा सिंह गांव बूलोवाल तहसील जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री गुरबिन्द्रपाल सिंह, मनिन्द्रजीत सिंह पुत्र धनवंत सिंह, गांव मुकंदपुर, तहसील जलन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया हुआ है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 7327 फरवरी 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख : 11-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज--I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 सितम्बर, 1979

निदेश सं० 80/फरवरी/79—यतः मुझे, ओ० आनंद्राम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन पक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 86 इकबाल रोड है, जो मुस्लिमपुर वानिमंबाडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वानिमंबाडी (444/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) 1. श्री एम० अब्दुल्ला बाशा साहिब और 2. श्रीमती रफिमाबी

(अन्तरक)

(2) 1. श्री जमीलूर रहमाण और 2. श्रीमती फि० सिराजून्निसा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकुमेण्ट सं० 444/79 एस० आर० ओ० वानिमबाडी भूमि और निर्माण—डोर सं० 86, इकबार रोड मुस्लिमपुर, वानिमबाडी।

ओ० आनन्द्राम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास।

तारीख : 24-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 29 सितम्बर 1979

निदेश सं० 67/फरवरी/79—यतः, मुझे, ओ० आनन्द्राम, आयकर, अधिनियम, 1961(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 9, 8वां क्रास मैन रोड है, जो गांधी नगर, वेलूल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काटपाडी (डाकु० नं० 508/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बात उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री रागुनाथ रेड्डी

(अन्तरक)

(2) श्री एस० सुन्दरम, इंडोनेशिया, पावर एजेंट वै बी० सुन्दरमूर्ती।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकुमेंट नं० 508/79 ए० आर० ओ० काटपाडी भूमि और निर्माण डोर नं० 9, 8वां क्रास मैन रोड गांधी-नगर, वेलूर।

ओ० आनन्द्राम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 29-9-1979
मोहर :

प्रकप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2 मद्रास

मद्रास, दिनांक 9 अक्तूबर, 1979

निदेश सं० 6970—यतः मुझे, राधा बालकृष्नम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० सं० 120/1 है, जो वडपातिमनगलम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास नार्थ (डाकूमेंट सं० 775/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1979 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री बी० टी० सोमसुन्दरम (अन्तरक)

(2) श्री तिरु आरूरान शुगरस (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण आर० एस० सं० 120/1, वडपातिमनगलम (डाकूमेंट सं० 775/79) ।

राधा बालकृष्नम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II मद्रास

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2 मद्रास

मद्रास, दिनांक 9 अक्तूबर, 1979

निदेश सं॰ 6984—यतः मुझे राधा बालकृष्नम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ 73, अबिरामपुरम IV स्ट्रीट है, जो प्रितवी एवेन्यू, मद्रास स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर (डाकुमेंट सं॰ 272/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सीता नरसिमहन

(अन्तरक)

(2) श्रीमती वीलस इनदिया

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 73 (29) अबिरामपुरम IV स्ट्रीट प्रितवी ऐवन्यू, मद्रास (डाकुमेंट सं॰ 272/79)।

राधा बालकृष्नम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास।

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II मद्रास

मद्रास, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 6964—यतः मुझे, राधा बालकृष्णनं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 4, गांधी नगर है जो ऋसनट पार्क रोड, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सदापेट (डाकुमेंट सं० 268/70) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सर्वश्री एम० विजयम्मा, वी० राजसेकरन, वी० सुधाकर

(अन्तरक)

(2) टी० नफीसा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 4, ऋसेनट पारक II, रोड, गान्धी नगर, मद्रास। (डाकूमेंट सं० 268/79)।

राधा बालकृष्णनं
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, मद्रास

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II मद्रास

मद्रास, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 6980—यतः, मुझे, राधा बालकृष्णन्, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 5, अय्यार रोड खलब है, जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर (डाकुमेंट सं० 261/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मिट्टी बैंनक (अन्तरक)

(2) पुनलूर पेपर मिल्स (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 5, अठ्यार बीड क्लब रोड, सैकन्ड, मद्रास (डाकुमेंट सं० 261/79)।

राधा बालकृष्णन्
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II मद्रास

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 6980—यत: मुझे राधा बालकृष्णन् आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी आर० एस० सं० 3901/8 है, जो बोड खलब रोड, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर (डाकुमेंट सं० 262/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) सिटी बैंक (अन्तरक)

(2) लक्ष्मी निवास और कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि आर० एस० सं० 3901/8, सेकन्ड, एवेन्यू, बोड खलब रोड, मद्रास (डाकुमेंट सं० 262/79)।

राधा बालकृष्णन्
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II मद्रास

मद्रास, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 8520—अतः, मुझे, राधा बालकृष्णन्, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ए० 2 इनडस एस्टेट है, जो तट्टानचावडी पान्डिचेरी-9 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पाण्डिचेरी (डाकुमेंट सं० 102/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि॰ नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० राजू (अन्तरक)

(2) मैसर्स आरोइलक्ट्रानिकस (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण प्लाट सं० ए० 2, इनडस एस्टेट तट्टानचावडी, पान्डिचेरी-9 (डाकुमेंट सं० 102/79)।

राधा बालकृष्णन्
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II मद्रास

मद्रास, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 6959—यतः मुझे राधा बालकृष्णन् आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 76, माउन्ट रोड है, जो मद्रास-2 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ट्रिपलिकेन (डाकुमेंट सं० 133/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जे० डी० इटालिया (अन्तरक)

(2) श्री बी० गोपालकृष्णं (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 76, माउन्ट रोड, मद्रास-2 (डाकुमेंट सं० 133/79)।

राधा बालकृष्णन्
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II मद्रास

मद्रास, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 6967—यतः, मुझे राधा बालकृष्णन् आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 65 है, जो अन्ना सालै मद्रास-2 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास नार्थ (डाकुमेंट सं० 751/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री जे० डी० इटालिया (अन्तरक

(2) श्री एस० अहमद फातिमा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण—65, अन्ना सालै मद्रास-2 (डाकुमेंट सं० 751/79) ।

राधा बालकृष्णन्
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II मद्रास

तारीख : 9-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 6967—यतः, मुझे, राधा बालकृष्णन्, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 64, है, जो अन्नन सालै मद्रास-2 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास नार्थ (डाकुमेंट सं० 752/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 79

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जे० डी० इटालिया (अन्तरक)

(2) श्री एस० अहमद फातिमा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण—64, अन्ना सालै मद्रास-2 (डाकु० सं० 752/79)।

राधा बालकृष्णन्
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II मद्रास

तारीख : 9-10-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 अक्तूबर, 1979

निदेश सं० 191-फरवरी/79—यत: मुझे, ओ० आनन्द्रम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं० 74, मेलवीररागवराव पुरम गांव है, जो पेरुमाल सन्नती स्ट्रीट, तिरूनेलवेलि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० ओ० I तिरूनेलवेलि (डाकु० सं० 128/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा, (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए० वी० वरदराज अयंगार (अन्तरक)

) श्रीमती वी० लक्ष्मी अम्माल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकुमेंट नं० 128/79 जे० एस० आर० ओ०-I तिरूनेलवेली भूमि और निर्माण डोर नं० 74, मेलवीररागवपुरम गांव पेरुमाल सन्नति स्ट्रीट, तिरूनेलवेलि।

ओ० आनन्द्राम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 10-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-, मद्रास

मद्रास, दिनांक 10 अक्तूबर 1979

निदेश सं॰ 78/फरवरी/79—यतः, मुझे, ओ॰ आनन्द्राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं॰ आर॰ एस॰ नं॰ 59/1ए चितुर गांव है, जो सेलम ईस्ट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलकंटकपुरम् सेलम (डाकु॰ नं॰ 188/79) में (रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर॰ दुरैसामी (अन्तरक)

(2) श्री मुतु (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकुमेंट नं॰ 188/79 एस॰ आर॰ ओ॰ जलकंटपुरम एग्रिकल्चुरल भूमि आर॰ एस॰ नं॰ 59/1ए॰, चितुर गांव सेलम डिस॰।

ओ॰ आनन्द्राम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 10-10-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 10 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 16/फरवरी/79—यतः, मुझे, ओ० आनन्द्राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नं० 520/2 सी०, 520/2 डी, 520/2 ई० 520/2 एफ, इलुपुसरनी है, जो गांव, कोवीलपट्टी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोवीलपट्टी (डाक्यु० नं० 296/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का सम्यक् प्रतिदाय से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. (1) काडर मोहिद्दीन (2) मोहम्मद कासिम (3) गुलाम मोहिद्दीन (4) एम० शाहुल अमीद (5) फातिमा बीवी (6) ए० शाहुल अमीद (7) काजा मोहिद्दीन (8) सेख अबदुल्ला (9) अमीना बीवी (10) मोहम्मद अली जिन्ना (अन्तरक)

2. (1) आर० लक्ष्मण पेरुमल (2) नारायनसामी (3) सुन्दरराजन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाक्यूमेंट नं० 296/79 एस० आर० ओ० कोवीलपट्टी अग्रिकल्चरल भूमि 7.79 एकड़ सरवे नं० 520/2 सी, 520/2 डी, 520/2 ई, 520/2 एफ, इलुपैमुरनी गांव कोवीलिपट्टी

ओ० आनन्द्राम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 10-10-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, तारीख 10 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 21/फरवरी/79—यतः, मुझे ओ० आनन्दराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नं० 93 सुकुरवारम गांव है, जो कोमारफालमम, सेलम डिस्ट० में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोमारफालमम (277/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16 फरवरी, 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० एतिराजन (अन्तरक)

(2) श्री एम० एस० इलवरसन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाक्युमेंट नं० 277/79 एस० आर० ओ० कोमारफालमम भूमि और निर्माण एस० नं० 93, सुकुरवरम गांव कोमारफालमम, सेलम डिस्ट०

ओ० आनन्दराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 10-10-79
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, तारीख 10 अक्तूबर 1979

निदेश सं॰ 35/फरवरी/79—यतः, मुझे, ओ॰ आनन्द राम

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ एस॰ डी॰ 2077-ए॰ 2 और 2077 बी॰ 2 केफ रोड, नागरकोयल है, जो नागरकोयल में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे॰ एस॰ आर॰ ओ॰-I नागरकोतील (डाक्यू॰ नं॰ 9-24/422/79 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16 फरवरी, 79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) परतास टैक्सटाइल्स मेनेजिंग पार्टनर एम॰ सी॰ निवास, रेट्टीमार (अन्तरक)

(2) (1) श्री के॰ टी॰ मरियम्मा (2) फि॰ डी॰ चाकु (3) अन्तोनी मुतु (4) फि॰ डी॰ अबरेहम। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकूमेंट नं॰ 9-24/422/जे॰ एस॰ आर॰ ओ॰-I नागरकोमी भूमि और निर्माण—एस॰ नं॰ 2077 ए॰-2 और 2077 बी॰-2 केफ रोड, नागरकोयील।

ओ॰ आनन्दमराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 10-10-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, तारीख 10 अक्तूबर 79

निदेश सं० 20/फरवरी/79—यतः, मुझे, ओ० आनन्दराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 61, मलवीररागवपुरम पेरुमाल है, जो नार्थ कार स्ट्रीट, तिरुनलवेलि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० ओ०-I तिरुनवेलि (डाक्यू० नं० 129/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री ए० वी० वरतराज अमंगारु और ए० बी० अन्नादुरै (अन्तरक)

(2) डाक्टर एस० वरतराजन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाक्यूमेंट नं० 129/79 जे० एस० आर० ओ० तिरुनलवलि भूमि और निर्माण डोर नं० 61 मलवीररागवपुरम पेरुमाल नार्थ कार स्ट्रीट, तिरुनलवेलि।

ओ० आनन्दराम
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 10-10-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख 10 अक्तूबर 79

निर्देश सं० 37/फिब०/79—अत:, ओ० मुझे, आनन्द्राम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० डोर नं० 16 पिलाट नं० 3-बी० पेरुमाल पुरम सी०-कालोनी है, जो कुलवनिगपुरमपुरम तिन्नलवेलि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ओ० मेलपाल यम० (डाकू० नं० 266/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एन० रामचन्द्रन (अन्तरक)

(2) श्री एम० एस० ए० मीरान (9) एम० चिन्नगनी अहमद मीरान (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाक्यूमेंट नं० 266/79 एस० आर० ओ० मेलफालमम भूमि और निर्माण डोर न० 16 प्लाट नं० 3-बी० पेरुमालपुरम सी० कालनी, कुलवनिगपुरम टिन्नलवेलि।

ओ० आनन्दराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 10-10-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास,-I दिनांक 9 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 55/फरवरी/79—चूंकि, मुझे, ओ० आनन्दराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 80, मारशलस रोड, एगमोर है, जो मद्रास 8 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पेरिममेट (डाक्यू० नं० 177/79 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त, अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती के० शोरनलक्ष्मी और सीता रामचन्द्र मूर्ति (अन्तरक)

(2) श्रीमती सोनिया आर० डालवानी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाक्यूमेंट नं० 177/79 एस० आर० ओ० परिमेगट फिनेट निर्माण डोर नं० 80, मारशलस रोड, एगमोर, मद्रास-8

ओ० आनन्दराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 9-10-1079

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, मद्रास

मद्रास दिनांक 8 अगस्त 1979

निदेश सं० 58/फिब०/79——यतः, मुझे, ओ० आनन्द्राम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० 76 और 77 सैडामास रोड, है, जो पेरिममेट, मद्रास-3 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पेरिममेट (डाक्यू० नं० 167/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

(1) मैसर्स के० ए० रेहमान एण्ड कंपनी
(अन्तरक)

(2) विक्टरी टिम्बर और सा मिल्स
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकूमेंट नं० 167/79 एस० आर० ओ० पेरिममेट भूमि और निर्माण डोर नं० 76 और 77 सैडामस रोड, पेरिममेट, मद्रास-3

ओ० आनन्द्राम
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, मद्रास

तारीख: 8-10-79
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास दिनांक 11-10-79

निदेश 43/फिबर०/79—यतः, मुझे, ओ० आनन्दराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० डोर नं० 3 (पुराना नं० 1) केथ्रट लेन, एजमोर है, जो मद्रास 8 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० ओ० II मद्रास नार्थ (डाकू० नं० 587/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जे० एस० विक्टोरिया (अन्तरक)

(2) मैसर्स सौत इंडिया होटल्स (पी०) लिट० मैनेजिंग डाइरैक्टर श्री एम० पी० पुरुषोत्तमन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकूमेंट नं० 587/79 जे० एस० आर० ओ० II मद्रास नार्थ भूमि और निर्माण डोर नं० 3 (पुराना नं० 1) केथ्रट लेन, एगमोर, मद्रास 8।

ओ० आनन्दराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, मद्रास

तारीख: 11-10-79
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 11 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 52/फरवरी/79—यतः, मुझे ओ० आनन्दराम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नं० 471/2, 475/5, 471/1 ए० 1 बी० निलकोट्टै है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, निलकोट्टै (डाक्यू० नं० 184/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए, था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री एम० अमीर अली (अन्तरक)

(2) (1) श्री जमाल मोहम्मद (2) श्रीमती सैयद रफीया बीबी (3) श्री ए० एम० ए० बजरूद्दीन अहमद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाक्यूमेंट नं० 184/79 एस० आर० ओ० निलकोट्टै है एग्रिकल्चरल भूमि सर्वे नं० 471/2, 475/5 471/1 ए० 1 बी निलकोट्टै।

ओ० आनन्दराम,
सक्षम प्राधिकारी,
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास,

तारीख : 11-10-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 11 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 64/फरवरी/79—यतः मुझे, ओ० आनन्दराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नं० 389/1 बी० कोडैकानल है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० ओ० कोडैकानाल (डाक्यू० नं० 21/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री आर० बी० रामण (अन्तरक)

(2) श्री एन० फकीर मोहम्मद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

डाक्यूमेंट नं० 21/79 एस० आर० ओ० कोडैकानल भूमि और निर्माण सर्वे नं०, 389/1 बी० कोडैकानल ।

ओ० आनन्दराम,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 11-10-79
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 11 अक्तूबर 1979

निदेश सं० एफ० नं० 83/फर०/79—यतः मुझे, ओ० आनन्द्राम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 472/1 सेवुगमपट्टी गांव है, जो निलकोट्टै तालुक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कुण्डु (डाक्यु० नं० 9.20/280/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) (1) श्री टी० पचैम फप नाडार (2) पी० राजमाल (3) पी० कासीराजण (4) डरमर (5) कुड-लिगम (6) मामांडी (7) नटराजण (8) हिटलर (9) मानिकवेल (10) रतिनवेल (अन्तकर)

(2) श्री टी० जानसेगरण (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

डाक्यूमेंट नं० 9.20/280/79 एस० आर० ओ० वतल-कुण्डु गार्डन लैंडस, एस० नं० 472/1, सेवुगपट्टी गांव, निलकोट्टै तालुक ।

ओ० आनन्द्राम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I मद्रास

तारीख : 11-10-79
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास तारीख 13 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 85 बी०——यतः, मुझे, राधा बालकृष्णं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 47, है जो पालैयूर, कनलनूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कारैकुठी (डाक्यूमेंट सं० 47/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 79 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मीनाक्शी थियेटर्स (अन्तरक)

(2) श्रीमती राम० जमीला बीबी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण मीनाक्शी थियेटर, पालैयूर, कनठनूर (डाक्यूमेंट सं० 47/79)

राधा बालकृष्णं
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 13-10-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक अक्तूबर 13, 1979

निदेश सं० 10283—यतः, मुझे, राधा बालकृष्णन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वेट सं० 481 और 482 है, जो सनगनूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता चेधिकारी के कार्यालय, धांदिपुरम (डाक्यूमेंट सं० 724/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० टी० वी० सिवानन्दम (अन्तरक)

(2) दि० करपगम थियेटर (पि०) लिमिटेड (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वेट सं० 481 और 482 सनगनूर कोयमबटूर (डाक्यूमेंट सं० 724/79)

राधा बालकृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 13-10-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 13 अक्तूबर, 1979

निदेश सं० 10283—यतः, मुझे, राधा बालकृष्न्, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० सयिड सं० 481, सनगनूर है, जो कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांदिपुरम (डाकूमेंट सं० 1476/79 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री श्रीनिवास पेरुमाल फैनांसिन्ग कारपोरेशन (अन्तरक)

(2) दि करपगम थयेटररस (पि०) लिमिटेड (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सायिड सं० 481, सनगनूर (डाकूमेंट सं० 1476/79)

राधा बालकृष्नं
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, मद्रास

तारीख : 13–10–1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 7040—यतः, मुझे, राधा बालकृष्नं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 2, कादर नवाज कान रोड़, है जो मद्रास –34 में स्थित र (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित र), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास जारत (डाकूमेंट उ० 152/79 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन, कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती डाक्टर मतुरनायकम (अन्तरक)

2. श्रीमती ए० एम० हतीजाय अमीना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 2, कादर नवाज खान रोड़ मद्रास–34।
(डाकूमेंट सं० 152/79)

राधा बालकृष्नं
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, मद्रास

तारीख : 15–10–1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास दिनांक 15 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० 8495—यतः, मुझे, राधा बालकृष्ण, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सी 41 हैं, जो रामलिंग नगर फतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, त्रिची (डाकूमेंट सं० 358/79 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, 7 फरवरी 1979 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री के० राम राधा कृष्णन चेट्टी

(अन्तरक)

2. श्री मेंगराज

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण सी 410 रामलिंग नगर, फतूर (डाकूमेंट सं० 358/79)

राधा बालकृष्ण
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 15-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 7036—यतः, मुझे, राधा बालकृष्णम् आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है, तथा जो कुनरतूर पूनमल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पूनमल्ली (डाकूमेंट सं० 371/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री टी० वी० रामनाथ (अन्तरक)
2. श्री ओम० सरोजम्मा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अग्रीकल्चरल भूमि, निर्माण राटसेहरा—कुनरतूर (16-041/3 राकरस) (डाकूमेंट सं० 371/(9)

राधा बालकृष्णम्,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 15-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० एन० टी० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 7036—यतः, मुझे, राधा बालकृष्नम्, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है, जो कुनरतूर, पूनमल्ली में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पूनमल्ली (डाकूमेंट सं० 372/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल से के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शांती चेरीटीस (अन्तरक)

2. वाई० सरोजम्मा और अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण कुनरतूर पूनमल्ली (डाकूमेंट सं० 372/79)।

राधा बालकृष्नम्,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 15-10-1979
मोहर ।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 8502—यतः, मुझे, राधा बालकृष्नम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 75, तिरुनीरमलै रोड़, पम्मल है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पल्लावरम (डाकूमेंट सं० 282/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री रा० मोहमद मोहिदीन (अन्तरक)
2. श्री राजेश्वरी रानटर प्रैसस (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण, 75, तिरुनीरमलै रोड़ पम्मल (डाकूमेंट सं० 282/79)।

राधा बालकृष्नम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 15-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 13 अक्तूबर 1979

निदेश सं॰ 10284—यतः, मुझे, राधा बालकृष्णन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं॰ 10, डाक्टर सिवानन्द नगर है तथा जो सेनगनूर, कोयम्बटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, के कार्यालय, धांदिपुरम (डाकूमेंट सं॰ 588/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा के (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डाक्टर पी॰ सी॰ करुनाकरन नमबियार (अन्तरक)

2. श्रीमती लक्शमियम्माल डोरैराज और इनबाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 10, डाक्टर सिवानन्द नगर, सेनगनूर, कोयम्बतूर (डाकूमेंट सं॰ 588/79)

राधा बालकृष्णन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज—II, मद्रास

तारीख : 13—10—1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 16 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 6966—यतः, मुझे, राधा बालकृष्णम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 88, अन्ना साली, मद्रास-2 है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास नारत (डाकूमेंट सं० 824/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जमशिठ ठिनशा इटालिया और डाक्टर फरिठ जे० इटालिया। (अन्तरक)

2. श्री एस० एन० राम नूह (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और विभाग -88, अन्ना साले मद्रास-2 (डाकूमेंट सं० 824/79)

राधा बालकृष्णम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-11, मद्रास

तारीख: 16-10-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एस० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-, मद्रास

मद्रास, दिनांक 16 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० 6902—यतः, मुझे, राधा बालकृष्नम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 7, हरिनघटन रोड है । तथा जो मद्रास-31 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास (डाकूमेंट सं० 576/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफिल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती मीनाल रामस्वामी (अन्तरक)

2. श्री एम० के० चन्द्रकान्त (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 7, हरिनघटन रोड, मद्रास–31 (डाकूमेंट सं० 576/79)

राधा बालकृष्नम
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, मद्रास

तारीख : 16–10–1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 12 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 17/फिब०/79—यतः, मुझे, श्री आनन्दराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 2/104 मेलचतरम स्ट्रीट है, जो परमकुडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, परमकुडी (डाक० नं० 10/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री आर० नागराजण और (2) फि० आर० कलमान सुन्दरम। (अन्तरक)

2. श्री आर० सेतु नाडार। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकूमेंट सं० 10/79 एस० आर० ओ० परमकुडी भूमि और निर्माण डोर नं० 2/104, मेलचतरम स्ट्रीट, परमकुडी।

ओ० आनन्दराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 12-10-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० ए०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास,

मद्रास, दिनांक 12 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 18/फिब०/79—यतः, मुझे, ओ० आनन्दराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 2/104 मेलचतरम स्ट्रीट है, जो परमकुडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, परमकुडी (डाकु० नं० 11/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16 फरवरी 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. (1) श्री आर० नागराजण और (2) कि० आर० कलमान सुन्दरम (अन्तरक)

2. श्रीमती एस० वल्ली मनिलु अम्माल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकूमेंट नं० 11/79 एस० आर० ओ० परमकुडी भूमि और निर्माण डोर नं० 2/104 मेलचतरम स्ट्रीट, परमकुडी।

ओ० आनन्दराम
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 12-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 12 अक्तूबर 1979

निदेश सं० ओ० आनन्दराम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 275 कामराजर रोड, है जो मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-I मदुरै (डाकु० नं० 583/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अधीन, तारीख फरवरी 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री टी० वी० वी० वीवणशंकर (अन्तरक)
2. श्री पी० सुबरमनियन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकूमेंट नं० 583/79 जे० एस० आर० I मदुरै भूमि और निर्माण और नं० 275, कामराजर रोड, मदुरै।

ओ० आनन्दराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, मद्रास

तारीख : 12-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 13 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 86/फिब०/79—यत:, मुझे, ओ० आनन्दराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 275, कामराजर रोड है, जो मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० I मदुरै (डाकु० 554/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, 16 फरवरी 1979 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री टि० वी० वी० वत्सला (अन्तरक)

2. श्री पी० सुबरमनियन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकूमेंट सं० 554/79 जे० एस० आर० I, मदुरै भूमि और निर्माण डोर नं० 275, कामराजर रोड, मदुरै।

ओ० आनन्दराम,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 12-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 12 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 87/फिब०/79—यतः, मुझे, ओ० आनन्दराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 275 कामराजर रोड है, जो मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-I मदुरै (डाकु० 555/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री टी० वी० बी० प्रेमचन्द्र (अन्तरक)
2. श्री पी० सुब्रमनियन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकूमेंट नं० 555/79 जे० एस० आर०-I मदुरै भूमि और निर्माण डोर नं० 275, कामराजर रोड, मदुरै।

ओ० आनन्दराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख: 12-10-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 12 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 88/फिब०/79—यतः, मुझे, ओ० आनन्दराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है ।

और जिसकी सं० 275 कामराजर रोड़ है, जो मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-I मदुरै (डाकु० नं० 556/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्—

1. श्री टी० वी० बी० दिलिप कुमार (अन्तरक)

2. श्री पी० सुबरमनियन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

डाकूमेंट नं० 556/79 जे० एम० आर०-I मदुरै भूमि और निर्माण डोर नं० 275, कामराजर रोड, मदुरै ।

ओ० आनन्दराम,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I मद्रास

तारीख : 12-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 13 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 22/फिब०/79—यतः, मुझे, ओ० आनन्दराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 15, आफिसर्स लेन, और मासिलमानी होस्टल है, जो रोड, वेलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-I वेलूर (डाकु० नं० 450/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1979 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डाक्टर वी० आर० रामकृष्णन (अन्तरक)
2. चर्च आफ सौर इंडिया ट्रस्ट असोसियेशन, मद्रास (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकूमेंट नं० 450/79 जे० एस० आर०-I वेलूर भूमि और निर्माण डोर नं० 15, आफिसर्स लेन वेलूर और भूमि और निर्माण मासिलमनी होस्टल रोड, वेलूर।

ओ० आनन्दराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख: 13-10-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 12 अक्तूबर, 1979

निदेश सं० 25/फिब०/79---यतः, मुझे, ओ० आनन्दराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 4, काकातोप, पुदुमंडपम है, जो मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुदुमंडपम मदुरै (डाकु० सं० 166/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:---

1. श्री एस० जी० रामचन्द्र हैमर (अन्तरक)
2. श्री आर० मुतुकिरुष्मण (अन्तरिती)

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

डाकूमेंट सं० 166/79 एस० आर० ओ० पुदुमंडपम भूमि और निर्माण डोर सं० 4, काका तोप, पुदुमंडपम मदुरै --2 ।

ओ० आनन्दराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 12-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 12 अक्तूबर 1979

निदेश सं॰ 33/फिनवरी/79—यतः, मुझे, ओ॰ आनन्दराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ 18सी नयी रामनाद रोड है, जो मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे॰ एस॰ आर॰-I मदुरै (डाकु॰ नं॰ 342/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती मेरी सुगंती (अन्तरक)
2. श्री आर॰ पेरियासामी नाडार (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकूमेंट नं॰ 342/79 जे॰ एस॰ आर॰-I मदुरै भूमि और निर्माण—डोर नं॰ 18-सी नयी रामनाड रोड, मदुरै।

ओ॰ आनन्दराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख: 12-10-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 12 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 65/फिब०/79—यतः, मुझे, ओ० आनन्दराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 16 टाऊन हाल रोड है, जो मदुरै में थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुदुमंडपम, मदुरै (डाकु० सं० 347/79) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री वी० गनेसण 2. श्रीमती मंगलम अम्माल (अन्तरक)

2. (1) कुमारी फि० आर० मानोमनी
(2) एस० लता बे० गाडियण ए० अमुदवल्ली
(3) आर० इशाराणी, आर० रेगुणा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डाकूमेंट सं 347/79 एस० आर० ओ० मुदुपंडपम भूमि और निर्माण डोर नं० 16, ठवुण हाल रोड़, मदुरै।

ओ० आनन्दराम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रज-I, मद्रास

तारीख : 12-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 12 अक्तूबर 3979

निदेश सं० 97/फरवरी/79—यतः, मुझे, ओ० आनन्दराम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० डोर सं० 193 मिंट स्ट्रीट, है, जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सौकारपेट, मद्रास (डाकू सं० 131/79) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. श्री भगवंदासलाल डाम (अन्तरक)

2. (1) रामलाल सोनी (2) जगदीश (3) श्रीमती गंगाबै । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

डाकूमेंट सं० 131/79 एम० आर० ओ० सोकारपेट मद्रास भूमि और निर्माण डोर सं० 193, मिंट स्ट्रीट, मद्रास।

ओ० आनन्दराम,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 12-10-1979
मोहर :

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 18th October 1979

No. F. 19/79-SCA(1).—The services of Shri A. N. Oberai, Deputy Registrar, Supreme Court of India have been placed at the disposal of the Vice-President of India with effect from the forenoon of October 18, 1979, until further orders.

2. The Hon'ble the Chief Justice of India has promoted and appointed Shri A. S. V. Raghavan, Assistant Registrar as officiating Deputy Registrar with effect from the forenoon of October 18, 1979, until further orders.

R. SUBBA RAO,
Registrar (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS,

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS,

LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION

Mussoorie, the 16th October 1979

No. 2/46/75-EST.—In continuation of this Office Notification of even number dated May 24, 1979, the Director is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri K. C. Saxena as Librarian for a further period of six months with effect from 15.10.1979 or till a regular appointment is made whichever is earlier.

K. RANGARAJAN,
Deputy Director (Sr.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 23 October 1979

No. A.-35013/15/79-Ad.V.—The President is pleased to appoint Shri D. N. Batra, an officer on deputation from Border Security Force, as Superintendent of Police in the Central Bureau of Investigation/Special Police Establishment with effect from the afternoon of 24-9-79 and until further orders.

Q. L. GROVER,
Administrative Officer (E) C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE,

New Delhi-110001, the 18th October 1979

No. O.II-227/69-Estt.—The President is pleased to appoint on promotion Shri Hema Ram, Subedar of CRPF to the rank of deputy Superintendent of Police (Company Commander/Quarter Master) in a temporary capacity until further orders,

2. He took over charge of the post in 12 Bn, CRPF w.e.f. 23-8-79 (AN).

A. K BANDYOPADHYAY,
Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 19th October 1979

No. 10/21/79-Ad.I-21720.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. R. R. Tripathi, Research Officer (Map) in the office of the Registrar General, India, New Delhi and at present working as Map Officer, on *ad-hoc* basis, in the same office, as Map Officer in the same office, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 25 September 1979, until further orders.

P. PADMANABHA,
Registrar General, India

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

No. 3965-GE.I/III-79

New Delhi-110002, the 17th/19th October 1979

No. 467-GE.I/V-12/PF Pt. IV, dated 3-2-79.—Shri N. Venkataraman, IAAS has retired from service with effect from 26-1-79 (AN).

No. 265/GE.I/N-44/PF, dated 20-1-79.—Consequent on her marriage, Kumari D. V. Nandini has been permitted to change her name to Smt. Nandini Yeshwant Kapdi.

No. 540-GE.I/L-7/PF. Pt.III(K.W.), dated 14-2-79.—Shri A. M. Lanker, IAAS, has been permitted to retire from service with effect from 30-4-79 (AN).

No. 972-GE.I/O-4/PF, dated 19-3-79.—Consequent on her marriage, Kumari Pravin Ohri has been permitted to change her name to Smt. Pravin Tripathi.

No. 1009-GE.I/D-39/PF, dated 20-3-79.—Comptroller and Auditor General of India is pleased to promote Shri A. C. Das, IAAS to officiate in the Junior Administrative Grade of service while holding the post of Chief Audit Officer, Office of the Auditor General, Govt. of Bhutan with effect from 18th April 1978 until further orders.

According to paragraph 1 of Ministry of External Affairs letter No. EIV/551/19/72 dated 10-5-73 governing his deputation to the Govt. of Bhutan, if the officer becomes due for promotion in his parent department while on deputation, he will not be entitled to the financial benefits of the same during the deputation. Consequently, no arrears arising out of promotion to the Junior Administrative Grade will be payable to Shri A. C. Das upto 5-9-78.

No. 1246-GE.I/292-74, dated 7-4-79.—Shri A. P. Ghosh, Accountant General, Tripura, Agartala has been appointed to officiate in level I of the Accountant General's grade (Rs. 2500-125/2-2750) with effect from 1-11-78 until further orders.

No. 1248-GE.I/292-74, dated 7-4-79.—Shri S. Jayaraman, Accountant General, Rajasthan, Jaipur, has been appointed to officiate in level I of the Accountant General's grade (Rs. 2500-125/2-2750) with effect from 1-1-79 until further orders.

No. 1202-GE.I/121-77, dated 10-4-79.—Comptroller and Auditor General of India is pleased to promote Shri A. C. Saha, an officer in the senior time scale of IAAS, to officiate in the Junior Administrative Grade of the service (Rs. 1500-60-1800-100-2000) while holding the post of chief pay and Accounts Officer, Govt. of Sikkim, Gangtok with effect from 18th December, 1978 until further orders under the second proviso to F.R. 30(1).

No. 1480-GE.I/S-109/PF, dated 21-4-79.—Shri B. P. Sinha, IAAS has retired from service with effect from 31st March 1979 (AN).

No. 1484-GE.I/84-78, dated 27-4-79.—The Comptroller and Auditor General of India is pleased to appoint Shri A. Gnanaolivu to the Accountant General level II grade (2250-125/2-2500) in an officiating capacity, while holding the post of Accounts Member, Tamil Nadu Electricity Board, Madras, with effect from 3-3-79 (AN) until further orders, under the second proviso to FR. 30(1).

No. 1473-GE.I/K-68/PF, dated 27-4-79.—Consequent on her marriage, Smt. Snimer Kaur, has been permitted to change her name to Smt. Snimer Kaur Sahni.

No 2152-GE.I/84-78, dated 6-6-79.—The Comptroller and Auditor General of India is pleased to appoint the following officers of IAAS to Accountant General level II grade (Rs. 2250-125/2-2500) in an officiating capacity while holding the posts mentioned against them with effect from the date indi-

cated against each until further orders under second proviso to FR 30(1).

1. Shri V. S. Bhardwaj, Chief Accountant Delhi Municipal Corporation, Delhi, 16-4-79.
2. Shri S. Chandrasekhar, Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Mineral Exploration Corpn. Limited, Nagpur, 16-4-1979.

No. 2895-GE.I/121-77, dated 30-7-79.—Comptroller and Auditor General of India is pleased to promote Shri Surinder Pal, an officer in the senior time scale of IAAS, to officiate in the junior Administrative Grade of the service (Rs. 1500-60-1800-100-2000) while holding the post of Finance Officer, Aligarh Muslim University, with effect from 16-4-79 (AN) until further orders under the second proviso to FR 30(1).

No. 3150-GE.I/S-115/PF.Pt.III, dated 20-8-79.—Shri K. Sundaram, IAAS, has retired from service with effect from 2nd August, 1979 (AN).

B. M. OZA,
Asstt. Comptroller and Auditor General (Personnel)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, KERALA

Trivandrum-695 001, the 10th October 1979

No. Estt/Ett/VI/10-3.—Shri N. PARAMESWARAN NAIR, Accounts Officer of the Office of the Accountant General, Kerala retired from service on superannuation in the AN of 30-9-1979.

No. Estt/Entt/VI/10-3.—Shri C. K. THANKAPPAN, Accounts Officer of the Office of the Accountant General, Kerala retired from service on superannuation in the AN of 30-9-1979.

S. SETHURAMAN,
Accountant General

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 23rd October 1979

No. Admn-1/8-132/79-80/150.—Shri K. NARAYANAMURTHI, Accounts Officer, Office of the Accountant General-I, Andhra Pradesh, Hyderabad, has retired from service with effect from 30-9-79 AN.

(Sd.) ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF DEFENCE

ORDNANCE FACTORY BOARD

DGOF HQRS. CIVIL SERVICE

Calcutta, the 8th October 1979

No. 17/79/A/E-1(NG).—The DGOF is pleased to promote Shri Sunil Kumar Bhattacharjee (I), Permtt. Asstt., as Assistant Staff Officer, in Offg. capacity, on *ad-hoc* basis, in a leave vacancy, for 67 days from 12-9-79 or till the officer, against whose leave vacancy promotion is ordered, resumes duties whichever is earlier.

D. P. CHAKRAVARTI
ADGOF/Admin.
for Director General, Ordnance Factories

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE
ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta, the 17th October 1979

No. 51/79/G.—On attaining the age of superannuation (58 years) Shri R. C. Chawla, OSD (Offg. Sr. DADGOF/Manager) (Subst. & Permts. DADGOF/Dy. Manager) retired from service w.e.f. 31st August, 1979 (A.N.).

V. K. MEHTA
Assistant Director General, Ordnance Fys.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT

CENTRAL REVENUES

New Delhi, the 18th October 1979

No. Admn. I/O.O./361/5-6/Promotion/79-80/1387 dated 28-9-1979.—The Director of Audit, hereby appoints the following permanent Section Officers of this office to officiate as Audit Officers, with effect from the Afternoon of 28-9-1979, until further orders :—

Sl. No. Name

1. Shri C. L. Arora
2. Shri O. P. Malik
3. Shri Y. P. Narula
4. Shri N. N. Jain

K. H. CHHAYA
Joint Director (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR

LABOUR BUREAU

Simla-171004, the 6th November 1979

No. 23/3/79-CPI.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base 1960=100 increased by three points to reach 363 (three hundred and sixty three) during the month of September, 1979. Converted to base 1949=100 the index for the month of September, 1979 works out to 441 (four hundred and forty one).

TRIBHUAN SINGH
Deputy Director
Labour Bureau

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 16th October 1979

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/1279/79-Admn.(G)/7452.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri Mukesh Bhatnagar as Controller of Imports and Exports (Category 'B') in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Kanpur in an officiating capacity with effect from the afternoon of 7th September, 1979 until further orders.

2. Shri Bhatnagar as Controller will draw pay in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—880—40—1000 — EB —40—1200/-.

No. 6/1283/79-Admn. (G)/7462.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri K. K. Bhowmick, Assistant Foreman in the Ordnance Equipment Factory, Ministry of Defence, Kanpur as Controller of Imports and Exports (Category 'B') in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta in an officiating capacity with effect from the forenoon of 19th September, 1979, until further orders.

2. Shri Bhowmick as Controller will draw pay in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —880—40—1000—EB—40—1200.

No. 6/1285/79-Admn. (G)/7470.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Smt. Sashi Balasubramanian as Controller of Imports and Exports (Category 'B') in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay in an officiating capacity with effect from the forenoon of 21st September, 1979, until further orders.

2. Smt. Balasubramanian as Controller will draw pay in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —810—40—1000— EB —40—1200.

No. 6/1286/79-Admn. (G)/7474.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri M. Balagangadharan, ACIO-II, Subsidiary Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Bombay as Controller of Imports and Exports (Category 'B') in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay in an officiating capacity with effect from the Forenoon of 1st September, 1979, until further orders.

2. Shri Balagangadharan as Controller will draw pay in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —880—40—1000— EB —40—1200.

No. 6/1282/79-Admn. (G)/7489.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri P. Ganesan, Assistant in the Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, New Delhi as Controller of Imports and Exports (Category 'B') in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 6th September, 1979, until further orders.

2. Shri Ganesan as Controller will draw pay in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —880—40—1000 — EB —40—1200.

C. S. ARYA
Dy. Chief Controller of Imports and Exports
For Chief Controller of Imports and Exports

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi-110 011, the 6th October 1979

No. A-19018(404)/79-Admn. (G).—On completion of his tenure, Shri B. D. Tekriwal, an officer of the Indian Postal Service relinquished charge of the post of Joint Development Commissioner, in the Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi on the afternoon of 28th July, 1979.

M. P. GUPTA
Deputy Director (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMINISTRATION SECTION A-6)

New Delhi, the 15th October 1979

No. A-6/247(602).—The President is pleased to appoint Shri Vishwa Prakash, Assistant Director of Inspection (Met) (Grade III of Metallurgical Branch of the Indian Inspection Service, Group 'A') to officiate on ad-hoc basis as Deputy Director of Inspection (Grade II of Metallurgical Branch of the Indian Inspection Service, Group 'A') with effect from the forenoon of 30th August, 1979 and until further orders.

2. Shri Vishwa Prakash relinquished charge of the post of Assistant Director of Inspection (Met) at Bhilai under the Directorate of Inspection Tatanagar on the afternoon of 29th August, 1979 and assumed charge of the post of Dy. Director of Inspection (Met) at Rourkela under the same Directorate on the Forenoon of 30th August, 1979.

No. 17011/47/72-A-6.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Satwah Inspecting Officer (Engg.) in Grade III of Indian Inspection Service, Group 'A' (Engineering Branch) to officiate on *ad-hoc* basis as Deputy Director of Inspection (Engineering) in Grade II of Indian Inspection Service, Group 'A' (Engineering Branch) with effect from the forenoon of 18th September, 1979 and until further orders.

2. Shri A. K. Satwah relinquished charge of the post of Inspecting Officer (Engineering) in the office of Director of Inspection, Bombay on the afternoon of 5th September, 1979 and assumed charge of the post of Deputy Director of Inspection (Engineering) in the office of Director of Inspection Calcutta on the forenoon of 18th September, 1979.

The 23rd October 1979

No. A-17011/162/79-A6.—The Director General of Supplies and Disposals has appointed Shri M. Madhava Rao, Examiner of Stores (Engg.) in the Office of Director of Inspection, Madras to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engg.) on *ad-hoc* basis in the office of Director of Inspection, Bombay under this Dte. General with effect from the forenoon of 31st August, 1979 and until further orders.

P. D. SETH
Deputy Director (Administration)
for Directorate General of Supplies & Disposals

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun, the 17th October 1979

No. C-5563/724-SOS(A).—Shri B. Hoppo, Stores Assistant (Sel. Gde.) is appointed to officiate as Assistant Stores Officer (GCS Group 'B' post) in Survey Training Institute, Survey of India, Hyderabad in the scale of pay of Rs. 550—25—750—EB—30—900 with effect from 10th September, 1979 (FN).

The 19th October 1979

No. El-5566/913-H.—In continuation of this office Notification No. El.-5442/913-H dated the 14th December, 1978, the *ad-hoc* appointment of Shri R. K. Chamoli, Hindi Officer of the Surveyor General's Office is further extended upto 30th September, 1979. This office Notification issued under No. El-5479/913-H dated the 19th April, 1979 is hereby cancelled.

K. L. KHOSLA
Major General
Surveyor General of India

DIRECTOR GENERAL : DOORDARSHAN

New Delhi, the 19th October 1979

No. A-19012/30/79-SII.—Director General, Doordarshan is pleased to appoint Shri S. Santhu, previously working as Sr. Accountant at C.S.U. CBS, AIR, Bombay as Administrative Officer, Doordarshan Kendra, Bombay in the scale of Rs. 650—960 with effect from 10-8-1979 forenoon, until further orders.

No. A-19012/29/79-SII.—Director General, Doordarshan is pleased to appoint Shri J. C. Gupta, previously working as Accountant at AIR, Simla, as Administrative Officer at Doordarshan Kendra, Srinagar in the scale of Rs. 650—960 with effect from 1-9-1979 (FN), until further orders.

C. L. ARYA
Deputy Director of Administration
for Director General

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(FILMS DIVISION)

Bombay-26, the 9th October 1979

No. A-20011/2/73-Est. I.—Chief Producer, Films Division, hereby appoints Shri R. Krishnamohan, Grade III Officer of CIS Officiating Script Writer as Research Officer for the Working Group for Autonomy for Films Division from 29-8-1979 (F.N.) at Bombay.

N. N. SHARMA
Asstt. Administrative Officer
for Chief Producer

DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 15th October 1979

No. A.12026/2/77-Estt.—Shri R. D. Chari, a permanent Senior Accountant in the Directorate of Advertising & Visual Publicity is appointed to officiate as Accounts Officer on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of 3rd October, 1979, until further orders.

The 17th October 1979

No. A 12025/1/79 Est.—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri A. S. Krishnamoorthy as Senior Artist, in a temporary capacity, with effect from 13th September, 1979, until further orders.

The 19th October 1979

No. A.12026/5/79-Est.—The Director of Advertising & Visual Publicity hereby appoints Shri D. L. Ghoshal, Distribution Assistant to officiate as Assistant Distribution Officer on ad-hoc basis with effect from the afternoon of 25th September, 1979 vice Shri Jogi Ram Langan, Assistant Distribution Officer, granted leave.

J. R. LIKHI, Dy. Dir. (Admn.)
for Director

KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA

(KRISHI VIBHAG)

VISTAR NIDESHALAYA

New Delhi, the 15th October 1979

No. F.3-48/79-Estt.(I).—The ad hoc appointments of S/Shri S. L. Dhir, K. R. Vij and O. P. Bhasin in the posts of Superintendents (Grade I) are further continued beyond 30-9-1979 and and upto 31-10-1979.

B. N. CHADHA,
Director Administration

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES EDUCATION

Bombay-400058, the 11th September 1979

F. No. 2-12/79/Estt/5363.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee (Group 'B') of the Ministry of Agriculture & Irrigation, Department of Agriculture, New Delhi, the undersigned is pleased to appoint Shri D. V. Reddi, substantively to the permanent post of Farm Superintendent, Brackish water fish farm, Kakinada w.e.f. 9th July, 1976.

Sd- ILLEGIBLE
Dirtctor

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 15th October 1979

No. A-19024/4/79-A.III.—Shri G. N. Garg, Senior Chemist, is appointed to officiate as Chief Chemist at R.A.I., Ghaziabad on ad-hoc basis, w.e.f. 14-9-79 (F.N.), until further orders.

B. L. MANIHAR,
Director of Admn.
for Agricultural Marketing Advlser

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(ATOMIC MINERALS DIVISION)

Hyderabad-500016, the 16th October 1979

No AMD/2/2798/78-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division, has accepted the resignation submitted by Dr. P. Narasimha Murty, a temporary Assistant Surgeon with effect from 28th September, 1979 (AN).

The 22nd October 1979

No. AMD-1/13/78-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Ajay Kumar Tilwankar Rao as Scientific Officer/Engineer Grade SB in the Atomic Minerals Division in an officiating capacity with effect from the forenoon of 3rd September, 1979 until further orders.

M. S. RAO,
Sr. Administrative & Accounts Officer

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400 008, the 16th October 1979

No. Ref. HWPs/Estt/1/C-33/6006.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects appoints Shri Dattatraya Shriram Chine, a temporary Upper Division Clerk of Bhabha Atomic Research Centre and officiating Assistant Accountant of Heavy Water Project (Kota), to officiate as Assistant Accounts Officer in the same project in a temporary capacity on adhoc basis, with effect from May 14, 1979 (FN) to June 23, 1979 (AN) vice Shri S. R. Shidlyali, Assistant Accounts Officer appointed to officiate as Accounts Officer II.

No. Ref. HWPs/Estt/1/S-25/6007.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Shivaputra Revappa Shidlyali, a permanent Lower Division Clerk of Bhabha Atomic Research Centre and officiating Assistant Accounts Officer of Heavy Water Project (Kota), to officiate as Accounts Officer II, in the same project, in a temporary capactiy, on adhoc basis, with effect from May 14, 1979 (FN) to June 23, 1979 (AN) vice Shri A. N. S. Govindasamy, Accounts Officer II, granted leave.

R. C. KOTIANKAR,
Senior Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL – AVIATION

New Delhi, the 10th October 1979

No. A-38013/1/79-EA.—Shri B. L. Chaddah, Asstt. Aerodrome Officer, Safdarjung Airport, New Delhi retired on the 31st August, 1979 AN on attaining the age of superannuation.

No. A-38015/5/76-EA.—Shri S. T. Thomas, Asstt. Aerodrome Officer, office of the Regional Director, Madras Airport, Madras retired from Government service on the 30th September, 1979 AN on attaining the age of superannuation.

V. V. JOHRI,
Asstt. Director of Administration

New Delhi, the 11th October 1979

No. A.35018/26/78-E.I.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri T. P. Nellayappan, Senior Officer (Audit) in the office of the Director of Audit, Southern Railway, Madurai Division, as Accounts Officer (Cost) in the scale of pay of Rs. 840—1200, in the Headquarters office of Civil Aviation Department, New Delhi, on deputation with effect from the forenoon of the 1st September, 1979 for a period of two years, in the first instance.

C. K. VATSA,
Assistant Director of Administration

New Delhi, the 16th October 1979

No. A.32013/4/79-EC.—The President is pleased to appoint Shri L. R. Garg, Assistant Director of Communication, DGCA (HQ) to the grade of Deputy Director of Communication with effect from 24-9-79 (AN) on ad-hoc basis for a period of six months or till regular appointments are made to the grade whichever is earlier and to post him in the same office.

The 19th October 1979

No. A.32014/4/79-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri Saroj Kumar Sen, Communication Assistant, ACS, Calcutta to the grade of Asstt.

Communication Officer on ad-hoc basis with effect from 7-9-79 (FN) and to post him in the same station.

No. A.32014/4/79-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri P. A. Mathunny, Communication Assistant, ACS, Palam to the grade of Assistant Communication Officer, on regular basis, with effect from 5-9-79 (FN), and to post him at the same station.

No. A.32014/4/79-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri S. N. Bhagwat, Communication Assistant, ACS, Belgaum to the grade of Assistant Communication Officer on regular basis with effect from 29-9-79 (FN) and to post him in Aeronautical Communication Station, Bombay.

No. A.12025/1/78-EC.—The President is pleased to appoint Shri Arvind Kumar Agarwal in the Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department as Technical Officer with effect from 26-9-79 (FN) and to post him in the office of the Director Radio Construction & Development Units, New Delhi until further orders.

No. A.38012/1/79-EC.—Shri R. K. Bhaduri, Assistant Technical Officer, ACS, Raipur relinquished charge of his office on 31-8-79 (AN) on retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation.

R. N. DAS,
Assistant Director of Administration

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS

(CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT)

New Delhi, the 17th October 1979

No. 33/11/78-ECIX.—The President is pleased to appoint Shri M. A. Aziz a nominee of U.P.S.C. as Deputy Architect in the CPWD against a temporary post in the pay scale of Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300 with effect from 14-9-79 (FN) on the usual terms and conditions.

2. Shri Aziz is placed on probation for a period of 2 years from his date of appointment as Deputy Architect.

H. D. SINHA,
Dy. Director of Administration

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s Appachi Dairy and Agricultural Farm Private Limited.

Madras-600 006, the 23rd October 1979

No. 6938/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Appachi Dairy and Agricultural Farm Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Rafeeq-Shafeeq Leathers Private Limited.

Madras-600006, the 23rd October 1979

No. 7025/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rafeeq-Shafeeq Leathers Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

K. PANCHAPAKESAN,
Asstt. Registrar of Companies,
Tamil Nadu.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. JAC/Acq.III/10-79/395.—Whereas, I,
D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 840 sq. yds. land in situated at village Piran Garhi Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi on 7-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hari Kishan, Shri Kishan and Bal Krishan ss/o Shri Paras Ram R/O 17/25, East Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Harinder Singh Hassainwalia s/o Shri I. S. Hassanwalia R/o B-87, Defence Colony, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lal Dora land measuring about 840 sq. yds. out of 2520 sq. yds. Khasra No. 487/53, 467/54 and 487/60 area of Village Piran Garhi Delhi State, Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/396.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 840 sq. yds. land situated at Village Piran Garhi Delhi State, Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Delhi on 7-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 296C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hari Krishan, Shri Krishan and Bal Krishan s/o Shri Paras Ram R/o 17/25, East Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s Kulwant Electrical Industries H-1/9, Krishan Nagar Delhi through its partner Harcharan Singh Hasanwalia.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette, or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Lal Dora land measuring about 840 sq. yds. out of 2520 sq. yds. Khasra No. 487/53, 487/54 and 487/60 area of Village Piran Garhi Delhi State, Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
4 '14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/397.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 840 sq. yds. land situated at village Piran Garhi Delhi State, Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi on 7-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasoin of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hari Krishan, Shri Krishan and Shri Bal Krishan s/o Shri Paras Ram R/o 17/25, East Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Harsharan Singh Hasanwalia s/o Shri Kulwant Singh R/o H-1/9, Krishan Nagar, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lal Dora land measuring about 840 sq. yds. out of 2520 sq. yds. Khasra No. 487/53, 487/54 and 487/60 area of village Piran Garhi Delhi State, Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/398.—Whereas, I, D. P. GOYAL, being the competent authority under section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 83 situated at West Avenue Road, Punjabi Bagh, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 26-2-1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Onkar Singh S/o S. Sardar Singh, R/o Link Road Cuttack (Orissa) at present 2747 Minerva Lane, Kashmere Gate, Delhi-6.

(Transferor)

(2) Shri Rajnish Kukreja S/o Harish Kukreja R/o A-9, Wazirpur Industrial Area, New Delhi-52.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 300 sq. yds. out of Plot No. 83 on West Avenue Road, Punjabi Bagh New Delhi area of village Madipur, Delhi State, Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/399.—Whereas, I, D. P. GOYAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 3/8th share of property situated at No. 846 Ward No. XVI Block F, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at New Delhi on 28-2-1979,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lakhan Lal S/o Seth Lachman Dass R/o 2B/1, Ganga Ram Hospital Road, Rajinder Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Kumari B. K. Aruna D/o Shri Brahma and Km. B. K. Renu D/o Shri Brahma R/o 25, New Rohtak Road, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3/8th share (Undivided share) of property bearing Municipal No. 846, situated in Ward No. XVI Block F, W.E.A. Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi, bounded as under :—

North : Property bearing Khasra No. 198/31.
South : Property bearing Khasra No. 200/31.
East : Road.
West : Gali

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/10-79/400.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Prop. No. 10211 Block S, situated at W.E.A. Karol Bagh, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908); in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 27-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aroresaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269 D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Lekhraj Chanana and Sons (HUF) through Shri Lekh Raj Chanana (Karta) 14A/31, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi Smt. Saras Khullar R/o 3-B/5, Poorvi Marg & M/s S. R. Chanana and Sons (R.F.) through its managing partner Shri S. R. Chanana R/o 9A/31, WEA, K. Bagh,
(Transferor)

(2) M/s Behari Lal Lal Chand (HUF) 2170, Tilak Bazar, Delhi through Behari Lal Chandhok & M/s Chand Prakash & Sons (HUF) through Chand Parkash Karta, 41-Pusa Road, New Delhi.
(Transferee)

(3) 1. M/s May & Baker (India) P. Ltd.
2. Indian Bank.
3. S. R. Chanana and Sons.
4. Mohan Bros Associates.
5. Om Prakash Darshan Lal.
6. Jolly Foot Wear (India).
7. Leather Links.
(Person(s) in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period exples later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Offlcial Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A two and a half storeyed building alongwith basement on plot measuring 444 sq. yds. bearing Khasra No. 1451/1255 Block S, bearing municipal No. 10211 situated in Western Extension Area, Karol Bagh, New Delhi and bounded as under :—

North : Road.
South : Road.
East : Property No. 1452/1255.
West : Property No. 1450/1255.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi-110002, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/10-79/401.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. R-710, situated at New Rajinder Nagar, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on 28-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Vidya Vati W/o M. L. Mehta R/o R-710, New Rajinder Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Om Kumar I.A.S., and Vimal Kumar sons of Dr. Hari Kishan Dass R/o B-342, New Rajinder Nagar, New Delhi.
(Transferee)

(3) Shri O. P. Soni and Mr. Ashok Kumar Mehta.
(Person(s) in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A two and a half storeyed building bearing property No. R-710, measuring 200 sq. yds. situated in New Rajinder Nagar, New Delhi bounded as under :—

East : Service Lane.
West : Road
North : R-709, New Rajinder Nagar, New Delhi.
South : Side Road.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi-110002

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/10-79/402.—Whereas, I,
D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
N-23, situated at Malviya Nagar, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Officer
at New Delhi on February 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dr. Ram Krishan Khatri S/o late Shri Gobind Ram Khatri R/o 11901, Bunchberry Lane, Gaithersbu Maryland (USA) at present R/o H. No. N-23, Malviya Nagar, New Delhi through Shri Bhim Sain Sapra S/o late Madan Lal Sapra R/o J-145, Ashok Vihar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri J. C. Gandhi S/o late Shri Shanti Lal Gandhi R/o F-95, Lajpat Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—**The terms and expressions used herein as** are defined in Chapter XXA of **the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

House bearing No. N-23, situated at Malviya Nagar, New Delhi-17, built on lease hold plot measuring 200 sq. yds.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/403.—Whereas, I,
D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. B-42, situated at Jyoti Nagar (East) Loni Road, Shahdara Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi on 20-2-1979.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manohar Lal Bansal S/o Chandgri Ram, 4/21, Jaidev Park Rohtak Road Delhi and Ramesh Chand Jain S/o Chhote Lal, 4345, Gali Bahuji, Sadar Bazar Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Rajinder Singh Allagh S/o S. Rattan Singh Allagh, 1196, Rohtas Nagar, Shahdara Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chaper XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A residential plot bearing No. 42 in Block "B" measuring 533.3 sq. yds. in the colony known as Jyoti Nagar (East) situated on Loni Road, Shahdara, Delhi falling in part of Khasra No. 869 Vill. Gokarpur (Shahdara-Delhi) bounded as under :—

North : Others Land.
South : Plot No. B/41.
East : Service Land.
West : Main Road.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/10-79/404.—Whereas, I, D. P. GOYAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/17 situated at Old Rajinder Nagar, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 16-2-1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Gurcharan Kaur Wd/o Shri Uttam Singh R/o 1/17, Old Rajinder Nagar, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Raj Krishan Kumar S/o Dass Mal R/o 6/50, Old Rajinder Nagar, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two and a half storeyed build No. 1/17, Old Rajinder Nagar New Delhi bounded as under :—

North West : Road 30' wide
South East : Service Road.
North East : Side Road.
South West : House No. 1/18.

D. P. GOYAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-III

4/14A,ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/10-79/405.—Whereas, I, D. P. GOYAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. 4A/31 situated at Old Rajinder Nagar, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 20-2-1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kunti Devi W/o Late Shri Karam Chand Khanna R/o 4A/31, Old Rajinder Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Darshan Lal S/o Shri Shankar Dass R/o T-311, Baljit Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Govt. Built Qr. No. 4A/31, Old Rajinder Nagar, New Delhi with lease hold rights of the land under the said quarter bounded as under :—

North : Gali.
South : Gali.
East : G.B.P.
West : G.B.P.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/10-79/406.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair marekt value exceeding Rs. 2,5000/- and bearing
No. J-8/111 situated at Rajouri Garden New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 7-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dhian Singh S/o Ganda Singh R/o J-8/111, Rajouri Garden, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Vinita Sachdeva W/o Dr. Rajinder Kumar Sachdeva R/o 7055, Beriwala Bagh, Pul Bandash, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House on plot No. J-8/111 measuring 160 sq. yds. situated at Rajouri Garden, area of village Tatarpur Delhi State, Delhi.

D. P. GOYAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS— ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79-407—Whereas, I, D. P. GOYAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 39, Class C, situated at West Avenue Road, Punjabi Bagh, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Delhi on 26-2-1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been nor which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Piara Singh and Amarjit Singh sons of S. Santa Singh R/o 327 and 328, Seelampur Phase-III, Shahdara Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Jasbir Singh and Shri Janakbir Singh sons of S. Ram Singh R/o 21/56, Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons **within a period of** 45 days from the date of publication of this notice in the *Official Gazette* or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing plot No. 39, on West Avenue Road, in Class C, measuring 555.55 sq. yds. situated in the colony known as Punjabi Bagh, area of Village Madipur Delhi State, Delhi, bounded as under :—

North : Service Lane.
South : West Avenue Road
East : Plot No. 37
West : Plot No 41.

D. P. GOYAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delh.

Date : 9-10-1979.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/408.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. EA-83 situated at Inderpuri Extn., New Delhi, **(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at** Delhi on 7-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Joginder Singh S/o Harnam Dass R/o EA-83, Inder Puri Extn., New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Amrit K. Chadha S/o V. P. Chadha, R/o G-149, Naraina Vihar, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property **may be made in writing to the undersigned—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the **Official Gazette.**

EXPLANATION :—**The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

House on Plot No. EA-83, measuring 200 sq. yds. situated at Inderpuri Extension, New Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/409.—Whereas, I,
D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 13/30 situated at Ajmal Khan Road, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 20-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Harminder Kaur Alias Mohinder Kaur W/o Seth Tirlok Singh Chawla R/o 1/6B, Pusa Road, Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Shoba Rani W/o Shri B. D. Mehra R/o A-9, East of Kailash, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A commercial property bearing No. 13/30 situated at Ajmal Khan Road, Karol Bagh, W.E.A. New Delhi with the lease hold rights of the land measuring 256.67 sq. yds. under the said property bounded as under :—

North : Road.
South : Lane.
East : Ajmal Khan Road.
West : Plot No. 29.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/410.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. S-4, situated at Green Park Extension (Market), New Delhi-16.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer New Delhi on 28-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Parmeshwar Nath Madan 2123, Sector 15-C, Chandigarh.
(Transferor)

(2) M/s Suresh Chand Jain (HUF) B-1/30A, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016.
(Transferee)

(3) M/s Export India Corporation B1/30A, Hauz Khas Enclave, New Delhi.
[Person(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two and a half storeyed building built on the freehold commercial plot of land bearing No. 4 Block No. S, measuring 200 sq. yds. i.e. 167.441 sq. meter situated in the colony known as Green Park Extension in the Revenue Estate of Village Yusaf Sarai Jat on Delhi Qutab Road New Delhi bounded as under :—

East : Plot No. S-3.
West : Building No. S-5.
North : Road.
South : Lane.

D. P. GOYAL
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10 79/411.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 13/22 situated at W.E.A. Karol Bagh, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 19-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Shri Dharam Pal Aneja, 2. Madan Gopal Aneja, 3. Rajendra Aneja, 4. Dr. Krishan Gopal Aneja sons of Ram Ditta Mal all R/o 3929 Gali No. 28, Rehgarpura, Karol Bagh, New Delhi.

(Transferor)

(2) 1. Shri Kartar Singh s/o late Sunder Singh, 2. Surinder Pal Singh, 3. Upkar Singh, 4. Brij Pal Singh, 5. Arvinder Pal Singh sons of Kartar Singh R/o 5-North West Avenue, Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. 13/32, situated in W.E.A. Karol Bagh New Delhi with the lease hold rights of the land measuring 284 sq. yds. bearing plot No. 32 Block 13, Khasra No. 1510/1147 and bounded as under :—

North : Plot No. 31.
South : Plot No. 33.
East : Road.
West : Service Lane.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/412.—Whereas, I,
D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 53/42 situated at Ramjas Road, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 14-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sant Ram Anand S/o late Kirpa Ram Anand R/o 53/42, Ramjas Road, Karol Bagh, New Delhi through Lt. Col. T. N. Anand, general attorney.
(Transferor)

(2) Shri Sunder Lal and Ramesh Chand sons of Piru Mal R/o 4431, Cloth Market, Fatehpuri, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two and a half storeyed house measuring 267.7 sq. yds. bearing plot No. 42 Block No. 53, situated at Ramjas Road, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/413.—Whereas, I,
D. P. GOYAL,
being the competent authority under section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing
No. 57/18 situated at Old Rajinder Nagar, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 6-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1992) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Prem Parkash Narang S/o Shiv Narain Narang R/o 57/18, Old Rajinder Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Kaushalya Devi W/o Krishan Lal R/o 2439, Gali No. 11, Beadonpura Karol Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Govt. Built Qr. No. 57/18, Old Rajinder Nagar New Delhi with the lease hold rights of the land under the said quarter measuring 88 sq. yds. bounded as under :—
North : Road.
South : Open Space.
East : Service Lane.
West : House No. 57/19.

D. P. GOYAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC Acq.III/10-79/414.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 64, Block J-9 situated at Rajouri Garden, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi on 8-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri September Singh Alias Satamber sons of S. Piara Singh R/o Lakhpura Tehsil Nawa Shar Distt. Jullundur at present LV/3097 Ranjit Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Hans Raj Rawal S/o Bagga Mal Rawal R/o J-5/67 Rajouri Garden, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free-hold plot of land bearing plot No. 64 in Block J-9 (J-9/64) measuring 320 sq. yds. situated in the residential colony known as Rajouri Garden, area of village Tatarpur Delhi State, Delhi bounded as under :—

North : Plot No. J-9/65 (built up).
South : Plot No. J-9/63 (built up).
East : Property No J 9/3
West : Road.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/415.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 61/12 situated at Old Rajinder Nagar, New Delhi.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on 13-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any **moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

17-316GI/79

(1) Smt. Sushila Devi, Veeran Devi, Shakuntla Devi, Vidya Vati, Leela Vati all R/o 53/57, Ramjas Road Karol Bagh, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Tirath Ram S/o Shri Mool Chand 61/12, Old Rajinder Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATIONS—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two and a half storeyed built house No. 61/12, Old Rajinder Nagar New Delhi with the lease hold rights of the land under the said house measuring 85.9 sq. yds. and the said house is bounded as under :—

East : Road.
West : Service Lane.
North : House No. 61/11, Old Rajinder Nagar, New Delhi.
South : House No 61/13, Old Rajinder Nagar, New Delhi.

D. P. GOYAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
4/14 A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/10-79/416.—Whereas, I,
D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable **property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-** and bearing
No. 340/1 situated at G. T. Road Shahdara Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s Badhwar & Co. through Shri Jagan Nath S/o L. Ram Roop Prop. at 340/1 G.T. Road, Shahdara Delhi.

(Transferor)

(2) M/s Ellora Industries at 340 G.T. Road Shahdara Delhi through its partner Shri Rajinder Kumar Chhabra S/o Sham Lal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of th eaforesaid persons within a period **of 45 days from the date of publication of this** notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective **persons, whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Workshop shed No. 340/1, G.T. Road, Shahdara Delhi-32.

D. P. GOYAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-III

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/417.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 16 Road No. 40 situated at Punjabi Bagh, New Delhi,
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi on 26-2-1979,
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Subhash Chander S/o Naginder Nath R/o D-131, West Patel Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Sagar Mal S/o Mangli Ram and Smt. Dhanpati Devi W/o Naurang Rai R/o 12/52, Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 16 on Road No. 40 in Class D, measuring 279.75 sq. yds. situated in the colony known as Punjabi Bagh area of village Madipur Delhi State, Delhi bounded as under :—

North : Service Lane.
South : Road.
East : Plot No. 14.
West : Plot No. 16-A.

D. P. GOYAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/418.—Whereas, I, D. P. GOYAL, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4/618, situated at Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 23-2-1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagdish Raj Grover S/o Shri Rishi Ram Grover R/o 1F/4, Lajpat Nagar, New Delhi. (Transferor)

(2) Smt. Kanta Devi Jain W/o Shri Deep Chand Jain R/o IV/618, Bhola Nath Nagar Shahdara Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free hold residential house bearing Municipal No. 252A/3, K and new No. IV/618, Part of Khasra No. 624, min and Khewat No. 1, situated at Village Chandrawali abadi known as Bhola Nagh Nagar, Block D.S., Illaqa Shahdara Delhi and bounded as under :—

East : Road 14′ wide.
West : Road 8′ wide.
North : Plot No. 116 and Mpl No. IV/619.
South : Plot No. 114 and Mpl No. IV/617.

D. P. GOYAL,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi-110001 the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/10-79/419.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 19¼ biswas (983 sq. yds.) land situated at Village Nawada Delhi,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transfered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 28-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rattan Lal, Surat Singh, Des Ram, Mohan Lal, Ram Chel, Dharam Singh, Nand Lal, Bhagwan Dass sons of Bhola R/o Village Nawada, Delhi State, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Nanak Chand S/o Sadhu Ram R/o 63, M. M. Motia Khan, Paharganj, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A piece of land measuring 19¼ biswas (938 sq. yds.) out of Khasra No. 674 situated in the Revenue Estate of village Nawada Majra Hastal Delhi State, Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi-110001, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/420.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 19½ biswas (983 sq. yds.) situated at Village Nawada Delhi State, Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 28-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhagwan Dass, Nand Lal, Ram Chel, Dharam Singh, Rattan Lal, Surat Singh, Dea Ram and Mohan Lal sons of Shri Bhola R/o Village Nawada Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Bal Chand S/o Sadhu Ram R/o F-136, Phase-II, Rewari Lane, Mayapuri, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A piece of land measuring 19½ biswas (983 sq. yds.) out of Khasra No. 674 situated in the Revenue Estate of Village Nawada Mujra Hastal Delhi State, Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-III

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi-110001, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/421.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 7/81 situated at Punjabi Bagh, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Delhi on February 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Lt. Col. Joginder Singh Dhodi self and Regd. attorney of Shri Dali Singh, (2) Col. Gurcharan Singh Dhodi (3) Surinder Singh Dhodi sons of late Maj. Gopal Singh Fateh R/o 7/81, Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Sham Sunder S/o Lajpat Rai, (2) Naresh Kumar S/o Sham Sunder (3) Kamla Rani W/o Sham Sunder Ali R/o 7/81, Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7 on Road No. 81 measuring 555.55 sq. yds. situated in the colony known as Punjabi Bagh, area of Village Madipur, Delhi State, Delhi bounded as under :—

North : Plot No. 5 (Built up).
South : Plot No. 9 (Vacant).
East : Road No. 81 (30' wide).
West : Service Lane (15' wide).

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi-110001, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/422.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. N-19 situated at Green Park Extn., New Delhi,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on 21-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in th esaid instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising frmo the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Sat Parkash Aggarwal S/o Lekh Ram Aggarwal R/o 22, Aceeda Kutir, 217C, Mount Marry Road Bandra Bombay.

(Transferor)

(2) Shri Inderjit Singh S/o Sher Singh Sher C/o Pal & Associates G-48, Green Park, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE.

1/2 share in total Plot No. N-19 Green Park Extension, New Delhi of total plot admeasuring 666 sq. yds.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/423.—Whereas I,
D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1/2 of Plot No. N-19 situated at Green Park Extension, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 23-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sita Devi W/o Ved Prakash Bansal 57/20, Ashok Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Ishwar Kaur W/o Gurbax Singh, F-62, Green Park, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share in total plot No. N-19 measuring 333 sq. yds. (total 666 sq. yds.) situated at Green Park Extension, New Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/10-79/424.—Whereas, I,
D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. C-19, situated at Malviya Nagar, New Delhi.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 28-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Narinder Nath Sharma S/o Multani Ram R/o C-19, Malviya Nagar, New Delhi-110017.

(Transferor)

(2) Shri Mahender Singh S/o Dhara Singh R/o H-3/4, Malviya Nagar, New Delhi-110017.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. C-19, Malviya Nagar New Delhi-110017 construcled on a leasehold plot measuring 291 sq. yds.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 17th October 1979

Re. No. IAC/Acq.II/Feb 73/4965.—Whereas I, R. B. L. AGGRAWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. B-7/37, situated at Rajpur Road, Civil Lines, Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi in February 1979,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Scindia Investment P. Ltd. having its Regd. office at Gwalior, Madhya Pradesh.

(Transferor)

(2) Shri Ranvinder Singh, Ajay Singh and Rajesh Singh R/o 145, Gujranwala Town, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. B-7/37 measuring 490 sq. meters situated at Rajpur Road, Civil Lines, Delhi.

R. B. L. AGGRAWAL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range II,
Delhi/New Delhi.

Date : 17-10-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 11th October 1979

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-II/2/79/1011.—Whereas, I, MISS ANJANI OZA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agricultural Land situated at Village Bijwasan, Tehsil Mehrauli, New Delhi.
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at New Delhi on 3-2-1979
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kartar Singh son of Shri Lakhi Ram R/o Bijwasan attorney for Mir Singh S/o Sh. Ramesh R/o Village Bijwasan, Tehsil Mehrauli, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Ved Parkash Dewan S/o Shri Amar Nath Dewan, R/o E-37, Shastri Nagar, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 19 Bigha 1 Biswa Khat No. 33 Kila No. 16 (4-13) 25, (4-16) 209-34, 20 (4-16) and 24 (4-16) Village Bijwasan Tehsil Mehrauli, New Delhi Registered on 3-2-78.

(MISS) ANJANI OZA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I,
Delhi/New Delhi.

Date : 11-10-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 18th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/Feb. 38/1079/78-79.—Whereas I, MISS ANJANI OZA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agricultural land 7 bighas situated at Vill. Gadaip or Delhi Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer

at New Delhi on 26-2-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Bhagwati W/o Bharat Singh D/o Bihari Lal, Shanti W/o Dharam Singh D/o Hans Raj, Champi Wd/o Diwan Singh, Hira Wati W/o Attar Singh through G.A. Sh. Daya Ram S/o Munshi Ram R/o Village Gadaipur, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Prabhji Singh S/o Aya Singh R/o Gadaipur New Delhi.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land area 7 bigha, khasra No. 229(4-9), 231(1-1) 272 (Min) (1-10) situated at Village Gadaipur, Tehsil Mehrauli Delhi State Delhi.

MISS ANJANI OZA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I,
New Delhi.

Date : 18-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

CENTRAL REVENUE BUILDING, 3RD FLOOR, NEW DELHI

New Delhi, the 19th October 1979

Ref. No. IAC.Acq.SRIII/FebII(29)/1070).—Whereas I, MISS ANJANI OZA,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. plot No. S, 416. situated at Greater Kailash II New Delhi. (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
New Delhi on 24-2-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vinay Mehta s/o Shri Satya Pal Mehta. r/o 3-A/3, Asaf Ali Road, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Manjder Bir Singh Anand s/o Shri Jaswant Singh Anand r/o B-2/1 Model Town Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free hold plot of land bearing No. 416, Block No, 'S' measuring 556 sq. yds, and situated in Greater Kailash-II, New Delhi. Within the limits of Delhi Muncipal and bounded as under :—

East : Service Lane.

West : Road.

North : Plot No. S-414.

South : Plot No. S-418.

MISS ANJANI OZA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I,
New Delhi.

Date : 19-10-1979..

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
CENTRAL REVENUE BUILDING, 3RD FLOOR,
NEW DELHI

New Delhi, the 18th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.I/Feb.10/1051/78-79.—Whereas I, MISS ANJANI OZA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 119 situated at Golf Links New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 21-2-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Parkash Wati W/o Om Prakash 25-Hanuman Road New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri N. S. Parthasarthy, N. S. Padmanathan Kr, N. S. Raj son & daughter of N. P. Seshadri R/o 20/1 Lodi Colony, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A two and a half storeyed building built on plot of land measuring 375 sq. yds. bearing No. 119, Gold Links New Delhi.

MISS ANJANI OZA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I,
New Delhi.

Date : 18-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
CENTRAL REVENUE BUILDING, 3RD FLOOR,
NEW DELHI

New Delhi, the 18th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/Feb-47/1040/78-79.—
Whereas, I, MISS ANJANI OZA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agricultural land 4 bigha 16 biswas situated at Village Gadaipur Tehsil Meharauli New Delhj
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 15-2-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Baljeet Kaur Dhupia W/o S. S. Dhupia through C.A. Sh. Manjit Singh Dhupia S/o Mehraban Singh Dhupia R/o Police Station, Parliament Street, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Narang W/o K. C. Narang R/o D-51, Ashok Vihar Phase II, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land area 4 bighas and 16 biswas Khasra No. 315, situated at Village Gadaipur, Tehsil Mehrauli New Delhi.

MISS ANJANI OZA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range I,
New Delhi.

Date : 18-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE-I,
CENTRAL REVENUE BUILDING, 3RD FLOOR,
NEW DELHI

New Delhi, the 18th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/Feb.40/1033/78-79.—
Whereas, I, MISS ANJANI OZA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 14 Bigha 11 Biswas situated at Agrl. land in Village Sultanpur New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 14-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shiv Lal S/o Chanan Ram R/o M-7, Malviya Nagar New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Kharaiti Lal S/o Gopal Dass R/o A-IV/19, Daya Nand Colony Lajpat Nagar New Delhi (1/2 share) Sheela Wanti w/o Ram Lal, Sudesh Rani W/o Jag Mohan, Ramesh Kumar S/o Ram Lal (1/2 share) R/o 1552 Kotla Mubarakpur New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land area 14 bighas and 11 biswas out of Khasra Nos. 749, 748, 750, 751 with tube-well, situated at village Sultanpur Teh. Mehrauli New Delhi.

MISS ANJANI OZA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range I,
New Delhi.

Date : 18-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
CENTRAL REVENUE BUILDING, 3RD FLOOR,
NEW DELHI

New Delhi, the 18th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.-I/SR-III/Feb.22/1051/78-79.—Whereas I, MISS. ANJANI OZA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 28 Block 205 situated at School Lane, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi on 5-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the tranfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Attar Kaur Duggal w/o Shri Baldev Singh Duggal R/o D-17, N.D.S.E. Part I New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Jupinder Kaur W/o Shamsher Singh R/o 28, School Lane New Delhi.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. 28 in Block No. 205 built on plot of land measuring 330 sff. yds. situated at School Lane New Delhi.

MISS ANJANI OZA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range I,
New Delhi.

Date : 18-10-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
CENTRAL REVENUE BUILDING, 3RD FLOOR,
NEW DELHI

New Delhi, the 19th October 1979

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/2-79/1008.—Whereas, I, MISS ANJANI OZA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. E-163 situated at Kalkaji, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 27th October 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such trasnfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Krishan Lal Anand, S/o Shri Mathura Dass Anand, r/o House No. 58 B.D. Gandhi Nagar Jammu (J & Kashmir).

(Transferor)

(2) Shri Brij Bhusan Anand, s/o Late Shri Mathura Dass Anand, r/o Qr. No. E-163, Kalkaji New Delhi 110019.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Government Built quarter No. E-163, constructed on ale-aseh-old measuring 200 Square Yards,—Situated at Kalkaji, New Delhi.

MISS ANJANI OZA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range I,
New Delhi.

Date : 19-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

CENTRAL REVENUE BUILDING, 3RD FLOOR, NEW DELHI

New Delhi, the 18th October 1979

Ref. No. IAC/Acq-I/SRIII/Feb.13/10006/78-79.—Whereas I, MISS. ANJANI OZA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agrl. land 4 bigha 16 biswas situated at village Sultanpur New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on 2-2-1979,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to belive that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Raj Pal S/o Sh. Duni Ram R/o Village Sultanpur, Tehsil Mehrauli New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Bhup Singh, Harbans Singh, Chander Singh, Gian Singh, Azad Singh sons of Fattan Singh R/o Village Sultanpur, Tehsil Mehrauli New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agrl. land area 4 bigha 16 biswas, khasra No. 398 situated in village Sultanpur, Tehsil Mehrauli New Delhi.

S. K. DASGUPTA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV,
New Delhi.

Date : 18-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th September 1979

Ref. No. A.P. -1955.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Bimla Rani W/o Bal Ram, 185 Adarsh Nagar, Jullundur.
(Transferor)

(2) Smt. Vidya Wanti W/o Chuni Lal 20-A New Vijay Nagar, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration sale Deed No. 7527 of February 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 28-9-1979

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur the 28th September 1979

Ref. No. A.P.-1956.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Jullundur on February 1979 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on February, 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dalip Singh S/o Shri Hazara Singh, 73 Aadarsh Nagar, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Roshan Lal Puri S/o Sh. Bhagat Ram Puri, 73 Adarsh Nagar, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 7705 of February 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 28-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 4th October 1979

Ref. No. A.P.-1957.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at Jullundur
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Joginder Singh Bhatia S/o Sh. Sampuran Singh, 82-A Gurjapal Nagar, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Mohinbir Singh S/o Sh. Harwail Singh, 82-A Gujalpal Nagar, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 7388 of Feb. 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 4-10-1979
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 6th October 1979

Ref. No. A.P.-1958.—Whereas I, B. S. DEHIYA,

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at Wariana (Jullundur)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Surinder Nath S/o Alakh Parkash, Ladowali Rd., Jullundur.
(Transferor)

(2) M/s. J. B. Sol Bax Industries (P) Ltd. Jullundur through Sh. Avinash Chander Director.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Manager, Punajb National Bank, Kapurthala.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Obections, if any, to the acqusition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expreasions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 7985 of Feb. 1979 of the Registration Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 6-10-1979

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 6th October 1979

Ref. No. A.P.-1959.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as te said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Wariana (Jullundur) (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on February 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajinder Kumar S/o Sh. Alakh Parkash, Ladowali Rd., Jullundur.
(Transferor)

(2) M/s J. B. Sol Bax Industries (P) Ltd. Jullundur. (through Avinash Chander Director).
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Manager, Punab National Bank Kapurthala.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Obections, if any, to the acqusition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 7991 of Feb. 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 6-10-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 11th October 1979

Ref. No. AP-1960.—Whereas, I, B. S. DEHIYA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at Jullundur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on February 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mangal Sain Kumar S/o Lakshumi Dass G.A. to Kamal Krishan S/o Devi Ditta Mal, Nursury No. 6, Model Town, Jullundur.

(Transferor)

(2) 1. Charan Singh 2. Mohinder Singh Ss/o Sohan Singh 3. Manjit Singh 4. Sukhdev Singh Ss/o Mohan Singh 5. Karnail Singh 6. Mukhtiar Singh Ss/o Bishan Singh, Nizatam Nagar, Jullundur.

(Transferees)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Obections, if any, to the acqusition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 7995 of February, 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 11-10-1979

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 11th October 1979

Ref. No. AP-1961.—Whereas I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Hoshiarpur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hoshiarpur on February 1979.
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arsing from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Anant Ram S/o Mohan Lal; Jail Road, Near Tehsil, Hoshiarpur.
(Transferor)

(2) Smt. Leela Wanti W/o Manohar Lal C/o Shiv Dyal Uttam Chand, Railway Road, Hoshiarpur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Obections, if any, to the acqusition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respectiv persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 4372 of February, 1979 of the Registering Authority, Hoshiarpur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 11-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 11th October 1979

Ref. No. AP-1962.—Whereas I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Hoshiarpur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Hoshiarpur on February 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Anant Ram S/o Mohan Lal, Jail Road, Near Tehsil, Hoshiarpur.

(Transferor)

(2) Shri Rana Varinder Singh S/o Madhu Sudhan Singh, S/o Slamat Rai, Dholan Wal P.S. Sadar, Hoshiarpur.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property).

Obections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 4373 of February, 1979 of the Registering Authority, Hoshiarpur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 11-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 11th October 1979

Ref. No. AP-1963.—Whereas I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Vill. Bullowal (Jus.)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur on Feb., 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Gurdit Singh S/o Santa Singh Vill. Bullowal Tehsil, Jullundur.
(Transferor)

(2) Gurvinder Paul Singh, Manider Jit Singh S/o Dhanwant Singh Vill. Mukand Pur, Tehsil Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Obections, if any, to the acqusition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration sale Deed No. 7327 of February, 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 11-10-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600006

Madras, the 24th September 1979

Ref. No. 80/FEB/79.—Whereas I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. 86, at Iqbal Road, Muslimpur, Vaniyambadi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SRO Vaniyambadi (Doc. No. 444/79) on Feb. 79. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. Abdulla Basha Sahib and
2. Smt. Rafeeyabi,
No. 86, Iqbal Road, Muslimpur, Vaniyambadi.

(Transferor)

(2) 1. Shri Jameelur Rahaman Sahib &
2. Smt. P. Sirajunnisa.
Old Majith Street, Muslimpur,
Vaniyambadi.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 444/79 S.R.O. Vaniyambadi.

Land & Building at Door No. 86, Iqbal Road, Muslimpur, Vaniyambadi, N.A. Dt.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Madras-600 006.

Date : 24-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-600006

Madras, the 29th September 1979

Ref. No. 67/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 9, situated at Eighth Cross Main Road, Gandhinagar, Vellore, N.A. Dt.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been, transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at S.R.O. Katpadi-(Doc. No. 598/79) on Feb. 79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ragunatha Reddy, No. 9, Dr. Tirumurthy Nagar 6th Road,
Nungambakkam, Madras-34.
(Transferor)

(2) Shri S. Sundaram of Indonesia Represented by his Power agent Shri B. Sundaramurthy, 9, Eighth Cross Main Road, Gandhinagar, Vellore-6.
(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(b) by any other person interested in the said immov- 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 508/79 SRO Katpadi

Land & buildings at Door No. 9 Eighth Cross Main Road, Gandhinagar, Vellore.

O. ANANDARAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Madras-600 006.

Date : 29-9-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras, the 9th October 1979

Ref. No. 6970.—Whereas I, Radha Balakrishnan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. R.S. No. 120/1 situated at Vadapathimangalam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Madras North (Doc. No. 775/79) on February 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) V. T. Somdasundaram No. 56, Sterling Road, Madras-34.

(Transferor)

(2) Thiru Arooran Sugars Ltd. Vadapathimangalam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at R.S. No. 120/1, Vadapathimangalam (Doc. No. 775/79).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Madras-600 006.

Date : 9-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

MADRAS-600006

Madras, the 9th October 1979

Ref. No. 6984.—Whereas I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 73, Abiramapuram IV St,
situated at Prithivi Avenue, Madras
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Mylapore (Doc. No. 272/79) on February 1979.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Sita Narasimhan Rep. By Padmini Chari, 235, Avvai Shanmugham Road, Madras-600 086.

(Transferor)

(2) M/s. Wheels India Ltd. 180, Mount Road, Madras-600 006.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expire later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at No. 73 (29) Abhiramapuram IV St., Prithivi Avenue, Madras (Doc. No. 272/79).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Madras-600 006.

Date : 9-10-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

MADRAS-600006

Madras, the 9th October 1979

Ref. No. 6964.—Whereas I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 4, Gandhi Nagar, situated at Kottur Village
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Saidapet (Doc. No. 268/79) on February 1979.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1822) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M. Vijayamma
W/o K. Vasudevan Pillai
V. Rajasckaran & V. Sudhakar
S/o. K. Vasudevan Pillai Srinivasa Avenue
Madras-28.
(Transferor)

(2) T. P. Nabeesa
D/o. Mamathottathil Puthan Parayil
House, Pandhakkal Mahe.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 4, Gandhinagar Crescent Park II Road, Madras (Doc. No. 268/79).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Madras-600 006.

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

MADRAS-600006

Madras, the 9th October 1979

Ref. No. 6980.—Whereas I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 5, Adyar Boat Club Road, situated at Madras
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at Mylapore (Doc No. 261/79) on February 1979.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Citibank NA.
152, Mount Road, Madras-600002.

(Transferor)

(2) M/s. Punalur Paper Mills Ltd.
Punalur 691 305 Kerala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at 5, Adyar Boat Club Road, Second Avenue, Madras (Doc. No. 261/79).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Madras-600 006.

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras, the 9th October 1979

Ref. No. 6980. Whereas I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. R.S. No. 3901/8 situated at Second Avenue, Boat Club Road, Adyar, Madras
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Mylapore (Doc. No. 262/79) on February 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, to the following persons, namely :—

(1) Citibank NA
152, Mount Road,
Madras-600 002.
(Transferor)

(2) M/s. Laxminivas & Co. (P) Ltd.
13, Lindsay Street, Calcutta-700 016.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land in R.S. No. 3901/8, Second Avenue, Boat Club Road, Adyar, Madras [Doc. No. 262/793.

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Madras-600 006.

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras, the 9th October 1979

Ref. No. 8520.—Whereas I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. A2, situated at Indus. Estate, Thattanchavadi, Pondicherry-9
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Pondicherry (Doc. No. 102/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M. Raju (M/s. Inventors & Fabricators) 3, Kumaran Illam Tagore Nagar, Pondicherry-8.
(Transferor)

(2) M/s. Auroelectronics,
25-B, Cazy Street, Pondicherry-605 001.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land and building at Plot A-2, Indus. Estate, Thattanchavadi, Pondicherry-9 (Doc. No. 102/79).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Madras-600 006.

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras, the 9th October 1979

Ref. No. 6959.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 76, Mount Road, situated at Madras-2
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Triplicane (Doc. No. 133/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) J. D. Italia, (Retd.)
Dinroze Estate, Madras-2.
(Transferor)

(2) B. Gopalakrishna
24, Khader Nawaz Khan Road, Madras-6.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 76, Mount Road, Madras-2 (Doc. No. 133/79).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II,
Madras-600 006.

Date : 9-10-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

MADRAS-600006

Madras, the 9th October 1979

Ref. No. 6967.—Whereas I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'). have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 65, situated at Anna Salai Madras-2, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of of 1908) in the office of the Registering Officer at Madras North (Doc. No. 751/79), on February 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Ldr. J. D. Italia (Retd)
Dinroze Estate, Mound Road, Madras-2
(Transferor)

(2) S. Ahmed Fathima, S. A. C. Shaik Norrdeen S.A.C. Ilias Naufer, B.S.O. Ojecha, B. S. Khairunnissa, B. S. Sultan Beevi, S. A. K. Seyed Ahmed Fathima, S. A. K. Mohamed Ali, S. A. K. Noorul Ainia, S.A.K. Shaik Noordeen S. A. K. Muthu Magdoom Fathima
65, Anna Salai, Dinroze Estate, Madras-2.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 65, Anna Salai, Madras-2. (Doc. No. 751/79).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Madras-600 006.

Date : 19-10-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras, the 9th October 1979

Ref. No. 6967.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
64, situated at Anna Salai Madras-2,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Madras North (Doc. No. 752/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 169D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Ldr. J. D. Italia (Retd.)
Dinroze Estate, Mount Road, Madras-2.

(Transferor)

(2) S. Ahmed Fathima, S.A.C. Shaik Nordeen S. A. C. Ilias Naufer, B. S. O. Ojeeha B. S. Kairunnissa, B. S. Sultan Beevi, S. A. K. Syed Ahmed Fathima, S. A. K. Mohamed Ali, S. A. K. Noorul Ainia, S. A. K. Shaik Noordeen, S. A. K. Muthu Magdoon Fathima
64, Anna Salai Madras-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 64, Anna Salai, Madras-2 (Doc. No. 752/79).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Madras-600 006.

Date : 19-10-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I

Madras-600 006, the 10th October 1979

Ref. No. 19/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 74 situated at Melaveeraragavapuram Village Perumal Sannathi Street, Tinnelveli,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at JSRO I Tinnelveli (Doc. No. 128/79) on February 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

22—316GI/79

(1) Shri A. V. Varatharaja Iyengar, Ananthapuram, Tinnelveli Taluk.

(Transferor)

(2) Smt. V. Lakshmi Ammal W/o Shri Dr. S. Varadharajan, Perumal Sannathi Street, Tinnelveli Junction.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 128/79 *JSRO I, Tinnelveli*

Land & Building at Door No. 74, Melaveeraragavapuram Village Perumal Sannathi Street, Tinnelveli.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 10-10-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I

Madras-600 006, the 10th October 1979

Ref. No. 78/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
R.S. No. 59/1A situated at Chittoor Village, Salem District,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
SRO Jalakantapuram, Salem (Doc. No. 188/79) in February 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. Duraisamy, Valaiya chettiyur, Poolampatti Village, Sankari Taluk, Salem District.
(Transferor)

(2) Shri Muthu, S/o Ramasamy gounder, Devanna-goundanur, Sankari Taluk, Salem District.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 188/79 SRO Jalakantapuram.

Agricultural lands in R.S. No. 59/1A, Chitoor Village, Salem District.

O. ANANDARAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 10-10-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I

Madras-600 006, the 10th October 1979

Ref. No. 16/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 520/2-C, 520/2-D, situated at 520/2E, 520/2F Iluppaiurani Village, Kovilpatti, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SRO Kovilpatti (Doc. No. 296/79) in February 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Khader Mohideen,
2. Mohamed Kasim,
3. Gulam Mohideen,
4. Sahul Hameed,
5. Fathima Beevi,
6. Shahul Hameed S/o Alla Pichai
7. Kaja Kohideen,
8. Sadak Abdulla,
9. Ameena Beevi,
10. Mohamed Ali Jinna.

} 202, Chekkadi Street, KOVILPATTI.

(Transferor)

(2) 1. Shri L. Lakshmanaperumal,
2. Shri Narayanasamy,
3. Shri Sundararajan.

} Thittankulam, Kovilpatti.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 296/79 *SRO Kovilpatti.*

Agricultural lands—7.79 acres—Survey Nos. 520/2C, 520/2D, 520/2E and 520/2F—Iluppaiurani Village, Kovilpatti.

O. ANANDARAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 10-10-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I

Madras-600 006, the 10th October 1979

Ref. No. 21/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 93, situated at Sikkuravaram Village, Komarapalayam, Salem Dt.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
SRO Komarapalayam (277/79) in February 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. Ethirajan, S/o Shri Renganna Reddiar, Merchant, Pallipalayam Road, Kumarapalayam.

(Transferor)

(2) Shri M. S. Ilavarasan, Son of Shri S. S. M. Goundappan, Kalaimagal Veedhi, Komarapalayam, Salem Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 277/79 *SRO KOMARAPALAYAM.*

Land & Buildings at S. No. 93, Sukkuravaram Village, Komarapalayam, Salem District.

O. ANANDARAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 10-10-1979

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600006

Madras-600006, the 10th October 1979

Ref. No. 35/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 2077-A.2 & 2077-B2 situated at Cape Road, Nagercoil,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSRO I Nagercoil (Doc. No. I-24/422/79) on February 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Parthas Textiles, Managing Partner : Shri M. Srinivasa Reddiar, Cape Road, Nagercoil.
(Transferor)

(2) 1. K. T. Mariamma,
2. P. D. Chacko,
3. Anthony Muthu,
4. P. D. Abaraham.
C/o Shri Devasiaputhur, Advocate, Nirappumalai, Keeriparai, Kanyakumari Dt.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. I-24/422 JSRO I, Nagercoil.
Land and Buildings at S. No. 2077 A-2 and 2077-B2 at Cape Road, Nagercoil.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 10-10-1979

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I

MADRAS-600006

Madras-600006, the 10th October 1979

Ref. No. 20/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 61 situated at Malaveeraragavapuram Perumal North Car Street, Tinnelveli,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSRO I Tinnelveli (Doc. No. 129/79) on February 1979, for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. A. V. Varatharaja Iyengar
2. Shri A. V. Annadurai, Ananthapuram, Tinnelveil.
(Transferees)

(2) Dr. S. Varatharajan, Perumal Sannathai Street, Tinnelveli Junction.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this **notice in the Official Gazettee or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 129/79 S.R.O. Tinnelveli
Land and Buildings at Door No. 61, Malaveeraragavapuram Perumal North Car Street, Tinnelveli.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 10-10-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600006, the 10th October 1979

Ref. No. 37/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Door No. 16 situated at Plot No. 3-B, Perumalpuram C. Colony, Kulavanigapuram, Tinnelveli,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
SRO Melapalayam (Doc. No. 266/79) on February 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri N. Ramachandran, S/o K. S. Krishnaswamy Iyer, G. N. Chetty Road, T. Nagar, Madras-17.
(Transferor)

(2) Shri M. S. A. Meeran @ M. Chinnagani Ahamed Meeran, S/o Shri Mohamed Marayakar, N.G.O. Colony—A-35, Palayamkottai, Tinnelveli.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 266/79 *SRO, Melapalayam.*
Land and Buildings at Door No. 16, Plot No. 3-B, Perumalpuram C. Colony, Kulavanigapuram, Tinnelveli.

O. ANANDARAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 10-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600006, the 9th October 1979

Ref. No. 55/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 80, situated at Marshalls Road, Egmore, Madras-8, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SRO Periamet (Doc. No. 177/79) on February 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Mrs. K. Swarna Lakshmi Mrs. Seetha Ramachandramurthy, 6, Arulammal Street, T. Nagar, Madras-17.

(Transferors)

(2) Mrs. Sonia R. Dawlani, 3 (Ground Floor), Radheshyam Buildings, 80, Marshal's Road, Egmore, Madras-8.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 177/79 SRO Periamet.
Flat in Building at Door No. 80, Marshalls Road, Egmore, Madras-8.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 9-10-1979
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras-600006, the 8th October 1979

Ref. No. 58/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 76 & 77, situated at Sydenhams Road, Periamet, Madras-3,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at SRO Periamet (Doc. No. 167/79) in February 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in resect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Messrs, K. A. Rehman and Company, C/o Shri T. P. C. Moosai Kutty, Metro Medicals, Tellichery, Kerala State.

(Transferor)

(2) Victory Timber and Saw Mills, No. 172, Sydenhams Road, Periamet, Madras-3.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 167/79 SRO Periamet.

Land & Buildings at Door Nos. 76 and 77 Sydenhams Road, Periamet, Madras-3.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006.

Date : 8-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras-600006, the 11th October 1979

Ref. No. 43/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Door No. 3 (Old No. 1), situated at Kennet Lane, Egmore, Madras-600008,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSRO II, Madras North (Doc. No. 587/79) on February 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) J. S. Victoria, 3, Gandhi Irwin Road, Egmore, Madras-8.
(Transferor)

(2) M/s South India Hotels (P) Ltd., Represented by Managing Director Shri M. P. Purushothaman, 3, Kennet Lane, Madras-8.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 587/79 JSRO II, Madras North.

Land and Buildings at Door No. 3 (Old No. 1) Kennet Lane, Egmore, Madras-600 008.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 11-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras-600006, the 11th October 1979

Ref. No. 52/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- S. No. 471/2, 475/5, 471/1A 1B situated at Nilakottai Village, Nilakottai Taluk,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SRO Nillakkottai (Doc. No. 184/79) on February 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri M. Amir Ali, S/o Shri Muthappa Rawther @ Mohamed Husain, Nillakkottai.

(Transferor)

(2) 1. Shri Jamal Mohamed, S/o Shri S. K. Sheik Ismail, Kambam.
2. Smt. Syed Raffeya Beevi W/o Shri M. Shahul Hameed, Kambam.
3. Shri A. M. A. Nazruddin Ahamed, Kambam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 184/79 SRO Nillakkottai.

Agricultural lands Survey No. 471/2, 475/5, 471/1A 1B Nillakkottai.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 11-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras-600006, the 11th October 1979

Ref. No. 64/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 389/1B situated at Kodaikanal,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
RO Kodaikanal (Doc. No. 21/79) on February 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have nit been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri R. V. Raman, S/o Shri M. K. Ranganathan, Aliyur, Calcutta.

(Transferor)

(2) Shri N. Pakkir Mohamed, S/o Shri Nayinar Mohamed Rawther Kodaikkanal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 21/79 *SRO KODAIKKANAL.*

Land and Buildings at S. No. 389/1B KODAIKKANAL.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 11-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras-600006, the 11th October 1979

Ref. No. 83/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 472/1 situated at Sevugampatti Village, Nillakottai Taluk,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
SRO Vathalakundu (Doc No. I-20/280/79) on February 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. T. Puchiappa Nadar,
2. P. Rajammal,
3. P. Kasirajan,
4. Dharmar,
5. Koodalingam,
6. Mayandi,
7. Natarajan,
8. Hitler,
9. Manickavel,
10. Rathinavel.
Sevugampatti Village, Nilakkottai Taluk. (Transferor)

(2) W.T.M.T. Zunanasegaran, S/o W.T.M. Toppa Nadar, Sevugampatti Village, Nilakkottai Taluk. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official G

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. I-20/280/79 S.R.O. Vathalakundu.

Garden Lands—S. No. 472/1, Sevugampatti Village, Nilakkottai Taluk.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 11-10-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 13th October 1979

Ref. No. 8513.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 47, situated at Palaiyur, Kandanur, Karaikudi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Karaikudi (Doc. No. 47/79) on February 1979 which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Meenakshi Theatres,
Kandanur.
(Transferor)

(2) M. Jameela Bibi,
W/o S. Mohammed Mohideen,
Palaiyur, Kandanur, Ramnad Dt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building known as Meenakshi Theatre, Palaiyur, Kandanur, Karaikudi Door No. 47.
(Doc. No. 47/79)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 13-10-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

MADRAS-600006

Madras-600006, the 13th October 1979

Ref. No. 10283.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1963) (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Site Nos. 481 and 482, situated at
Sanganur (T.S No. 11/751 and 752)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Gandhipuram (Doc. No. 724/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Dr. T. V. Sivanandam,
95, West Sambandam Road,
R. S. Puram, Coimbatore-2.

(Transferor)

(2) The Karpagam Theatres (P) Ltd.
Cross cut Road, Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Site Nos. 481 and 482, T.S. No. 11/751 and 752 Sanganur Coimbatore (77 Cents and 172 sq. ft.)

(Doc. No. 742/79)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 13-10-79
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 13th October 1979

Ref. No. 10283.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearin No.
Site Nos. 481 situated at Sanganur, Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Gandhipuram (Doc. No. 1476/79) on April 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer, with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sreenivasa Perumal Financing Corporation, 94A Dr. Rajendra Prasad Road, Tatabad, Coibamtore.

(Transferor)

(2) The Karpagam Theatres (P) Ltd., 268A, Cresent Road, Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as Site No. 481 Sanganur T.S. No. 11/752/1.
(Doc. No. 1476/79)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 13-10-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 15th October 1979

Ref. No. 7040.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
2, situated at Khader Nawaz Khan Road, Madras-34
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Madras North (Doc. No. 152/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

24—316GI/79

(1) Dr. Mrs. F. Mathuranayakam,
No. 2, Giri Road, T. Nagar,
Madras-17.
(Transferor)

(2) Mrs. A. M. Hathizathu Amina,
West St., Kilakkarai,
Ramnad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at 2, Khader Nawaz Khan Road, Madras-34.

(Doc. No. 152/79)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 15-10-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 15th October 1979

Ref. No. 8495.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. C41, situated at Ramalinga Nagar Puthur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Trichy (Doc. No. 358/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) K. M. Radha Krishna Chetti,
69, Panchavarnaswami Koil St.,
Woraiur, Trichy.

(Transferor)

(2) Menghraj No. 1, Tawker Chatramtrm,
Tiruchy.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at C41, Ramalinga Nagar, Puthur.
(Doc. No. 358/79)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 15-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 15th October 1979

Ref. No. 7036.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- situated at Kumrathur Poonamallee
and bearing No.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Poonamallee (Doc. No. 371/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) T. V. Ramnath,
13, Thyagaraya Road, Madras-17.
(Transferor)

(2) Y. Sarojammal,
M. Devarathnamma,
C. N. Vishwanathan,
17, Jagadeeswar St.,
Madras-17.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands, Houses, wells etc. at Kunrathur (16.041/3 Acres).
(Doc. No. 371/79)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 15-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS

Madras-600006, the 15th October 1979

Ref. No. 7036.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing, No.
situated at Kunrathur, Poonamallee
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Poonamalle (Doc. No. 372/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shanthi Charities,
18, Thyagaraya Road,
Madras-17.

(Transferor)

(2) Y. Sarojamma,
M. Devarathnamma,
E. N. Vishwanathan,
17, Jagadeeswar St.,
Madras-17.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Kunrathur, Poonamallee.
(Doc. No. 372/79)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 15-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS

Madras-600006, the 15th October 1979

Ref. No. 8502.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, **being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding** Rs. 25,000/and bearing No. 75, situated at Thiruneermalai Road, Pammal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), **has** been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pallavaram (Doc. No. 282/79) on February 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) A. Muhammed Mohideen,
66, Nandanam Extension,
Madras-600035.

(Transferor)

(2) Sree Rajeswari Enterprises,
7, (New No. 6), Sam Mudaly St.,
Periamet, Madras-3.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writng to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 75, Thiruneermalai Road, Pammal. (Doc. No. 282/79)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 15-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS

Madras-600006, the 13th October 1979

Ref. No. 10284.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
10, Dr. Sivananda Nagar, situated at Co-op. Housing Building Society Ltd. Sanganur, Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Gandhipuram (Doc. No. 588/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, inp ursuance of Section 269C, of the said Act, I, hereby initate proccedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, nameiy :—

(1) Dr. P. C. Karunakaran Nambiar,
Block U 79 Plot 4278, Madras-40.
(Transferor)

(2) Lakshmiammal,
Dorairaj,
Dhanabal,
22/12, Othachakkara St. No. 2,
Coimbatore-641001.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building 10, (Site No. 48), Dr. Sivananda Nagar Co-op. House Bldg. Society Ltd., Sanganur, Coimbatore.
(Doc. No. 585/79)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 13-10-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 16th October 1979

Ref. No. 6966.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 6/178 (New No. 88) Anna,
situated at Salai, Madras-2
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Madras North (Doc. No. 824/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Ldr. Jamshid Dinsh Italia (Retd.),
and Dr. Farid J. Italia,
Attorneys of the Estate of late D. D. Italia,
Dinroze Estate, Madras-2.

(Transferor)

(2) S. N. M. Noohu S/o Sheik Noordeen,
221, Linghi Chetty St., Madras-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication ofthis notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 88, Anna Salai Madras-2.
(Doc. No. 824/79)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 16-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 16th October 1979

Ref. No. 6902.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 7, Harrington Road, situated at Madras-31 (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Madras (Doc. No. 576/79) on February 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Kum. Meenal Ramaswami,
13, Leith Castle St.,
Madras-600028.

(Transferor)

(2) M. K. Chandrakanth,
Asoka Buildings,
11/236, Dr. Nanjappa Road,
Coimbatore-641018.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 7, Harrington Road, Madras-31.
(Doc. No. 576/79)

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006

Date : 16-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 12th October 1979

Ref. No. 17/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2/104, situated at Melachatram Street, Paramakudi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SRO Paramakudi (Doc. No. 10/79) on February 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri R. Nagarajan and
Shri P. R. Kalyanasundaram,
No. 2/155, Melachatram Street,
Paramakudi.

(Transferor)

(2) Shri R. Sethu Nadar,
Keelakottai, Paramakudi Taluk,
Ramnad Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 10/79 SRO Paramakudi.
Land and Buildings at Door No. 2/104, Melachatram Street, Paramakudi.

O. ANANDARAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 12-10-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-600006

Madras-600006, the 12th October 1979

Ref. No. 18/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2/104, situated at Melachatram Street, Paramakudi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SRO Paramakudi (Doc. No. 11/79) on February 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferte for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri N. Nagarajan and
Shri P. R. Kalyanasundaram,
No. 2/115, Melachatram Street,
Paramakudi.
(Transferor)

(2) Smt. S. Vallimayilu Ammal,
W/o Shri Sethu Nadar,
Keelakottai, Paramakudi Taluk,
Ramnad Dt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to be undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 11/79 SRO Paramakudi.

Land and Buildings at Door No. 2/104, Malachatram Street, Paramakudi.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 12-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-600006

Madras-600006, the 12th October 1979

Ref. No. 85/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 275, situated at Kamaraj Road, Madurai (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSRO I, Madurai (Doc. No. 583/79) on February 1979 for an apparent consideration which is less than the fair marked value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideratio nand that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri T. V. B. Vidyasankar,
No. 34, 35 South Perumal Maistry Street,
Madurai.

(Transferor)

(2) Shri P. Subramanian,
43, Lakshmipuram 4th Street,
Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 583/79 JSRO I, Madurai.

Land and Building at Dood No. 275, Kamaraj Road, Madurai.

O. ANANDARAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 12-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-600006

Madras-600006, the 12th October 1979

Ref No. F. 86/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
275, situated at Kamaraj Road, Madurai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
JSRO I Madurai (Doc. No. 554/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri T. V. B. Vathsala,
No. 34, 35 South Perumal Maistry Street,
Madurai.

(Transferee)

(2) Shri P. Subramanian,
43, Lakshmipuram 4th Street,
Madurai.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Document No. 554/79 JSRO I, Madurai.

Land and Buildings at Door No. 275, Kamarajar Road, Madurai.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 12-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-600006

Madras-600006, the 12th October 1979

Ref. No. 87/ACB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
275, situated at Kamarajar Road, Madurai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
JSRO I Madurai (Doc. No. 555/79) on February 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri T. V. B. Premchander,
No. 34, 35 South Perumal Maistry Street,
Madurai.

(Transferor)

(2) Shri P. Subramanian,
43, Lakshmipuram 4th Street,
Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 555/79 JSRO I, Madurai,

Land and Buildings at Door No. 275, Kamarajar Road, Madurai.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Madras-600006.

Date : 12-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 12th October 1979

Ref. No. 87/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 275
situated at Kamarajar Road, Madurai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSRO I Madurai (Doc. No. 556/79) on February 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facillitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri T. V. B. Dilipkumar,
No. 34, 35 South Perumal Maistry Street,
Madurai.
(Transferor)

(2) Shri P. Subramanian,
43, Lakshmipuram 4th Street,
Madurai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 556/79 JSRO I, Madurai.

Land and Buildings at Door No. 275, Kamarajar Road, Madurai.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 12-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 13th October 1979

Ref. No. 22/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANADRAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 15 Officers' Line, situated at
and Masilamani Hostel Road, Vellore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
JSRO I Vellore (Doc. No. 450/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. V. R. Ramakrishnan, Madras now in the U.S.A.

(Transferor)

(2) Church of South India Trust Association, Madras.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 450/79 ISRO I, Vellore.

Land and Buildings at Door No. 15, Officers' Line, Vellore, and Land and Building at Masilamani Hostel Road, Vellore.

O. ANANDARAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 13-10-1979

Seal :

FORM ITNS— —

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-600006

Madras-600006, the 12th October 1979

Ref. No. 25/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4, situated at Kakathope, Pudumandapam, Madurai, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at SRO Pudumandapam, Madurai (Doc. No. 166/79) on February 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. G. Ramachandra Iyer,
Door No. 4, Kakka thope, Madurai.

(Transferor)

(2) Shri R. Muthukrishnan,
No. 28, Kakathope Agraharam,
Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 166/79 SRO Pudumandapam.
Land and Buildings at Door No. 4, Kakathope, Pudumandapam, Madurai.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Assit. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 12-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-600006

Madras-600006, the 12th October 1979

Ref. No. 33/FEB/1979.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 18-C, situated at New Ramanathapuram Road, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSRO I Madurai (Doc. No. 342/79) on February 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Meri Suganthi,
W/o Shri T. K. R. Baldwin,
(Transferors)

(2) Shri R. Periasamy Nadar,
No. 18-C, New Ramnadapuram Road,
Madurai.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pubcation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 342/79 SRO I, Madurai.
Land and Buildings at Door No. 18-C, New Ramnadapuram Road, Madurai.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 12-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 12th October 1979

Ref. No. 65/FEB/79.—Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No.
16, situated at Town Hall Road, Madurai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
SRO Pudumandapam, Madurai (Doc. 347/79) on Feb. 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have nit been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri V. Ganesan,
2. Smt. Mangalam Ammal,
No. 16, Town Hall Road, Madurai.

(Transferor)

(2) 1. P. R. Manonmani,
2. S. Latha by Guardian S. Amudavalli,
3. R. Usharani Guardian by R. Renuga,
No. 131, Northveli Moola Veedhi,
Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 347/79 SRO Pudumandapam.
Land and Buildings at Door No. 16, Town Hall Road, Madurai.

O. ANANDARAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 12-10-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 12th October 1979

Ref. No. 97/Ft B/79 —Whereas, I, O. ANANDARAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Door No. 193, situated at Mint Street, Madras-1
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
SRO Sowcarpet (Doc. 131/79) on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhagvandaslal Das,
No. 193, Mint Street,
Madras-1.

(Transferor)

(2) 1. Shri Ramlal Soni,
2. Shri Jagadeesh,
3. Smt. Gangabhai,
159, Mint Street,
Madras-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Document No. 131/79 SRO Sowcarpet.
Land and Buildings at Door No. 193, Mint Street, Madras-1.

O. ANANDARAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-600006

Date : 12-10-1979
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979